

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक ²¹ 16 अगस्त 96

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16 अगस्त, 1996

मे विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996
के कार्यवृत्त का पुंष्टकरण।

1. हजरतगंज के समीप सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में। 01
2. हरदोई रोड योजना में लाइसेंस के आधार पर निजी निर्माताओं को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में। 21
3. रायबरेली रोड स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मलवा व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में। 45
4. प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवन/भूखण्डों में बिना अनुमति प्राप्त किये बिक्रय के सम्बन्ध में लगाये गये अर्धदण्ड के सम्बन्ध में। 47
5. श्रीमती सावित्री देवी को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या:4/9, विपुल खण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क एवं दण्ड ब्याज को माफ़ करने के सम्बन्ध में। 49
6. श्री मँजूर अहमद, पूर्व विधायक को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-4/146 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ करने से सम्बन्धित। 50
7. श्रीमती मीना सिंह को टिकेतराय योजना में आवंटित भवन संख्या:डी-642/2 के स्थान पर कानपुर रोड योजना में भवन परिवर्तन। 51
8. श्री मारकण्डेय सिंह को अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-11/ओ के स्थान पर गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन। 52
9. फ़ैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड तथा हरदोई रोड को जोड़ने वाली प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में। 53

10. श्री देवराज मिश्र, सदस्य विधान परिषद, उ.प्र.
को आवंटित भूखण्ड संख्या: बी-5/71,
विनीत खण्ड का मूल्य आसान किशतों में लिये जाने
का प्रस्ताव। 55
11. श्री सुनील कुमार अग्रवाल को जानकीपुरम योजना
के अर्न्तगत आवंटित भूखण्ड के बदले गोमती नगर
योजना में भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के
सम्बन्ध में। 56
12. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

विषय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 22 जून, 1996 के
कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक
दिनांक: 22 जून, 1996
का कार्यवृत्त
पुष्टि हेतु
संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996 का
कार्यवृत्त

उपस्थित :

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1. | श्री नरेश दयाल | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री अखण्ड प्रताप सिंह | प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग। |
| 3. | श्री गंगादीन यादव | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ। |
| 4. | श्री मोहिन्दर सिंह | आवास आयुक्त,
उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। |
| 5. | श्री आर.पी.त्यागी | उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। |
| 6. | श्री सुशील कुमार | उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण। |
| 7. | श्री वी.एस.माथुर | मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ। |
| 8. | श्री हरे कृष्ण शर्मा | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 9. | श्री विजय बहादुर सिंह | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग। |
| 10. | श्री राम वृक्ष प्रसाद | संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग। |
| 11. | श्री रन्तोष कुमार | प्रतिनिधि, महानिदेशक, पर्यटन, उ.प्र.। |
| 12. | श्री एस.भाटिया | प्रतिनिधि, जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 13. | श्री के.एस.विष्ट | प्रतिनिधि, अपर निदेशक, उद्योग विभाग। |
| 14. | श्री एम.ए.ए.खान | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

.....


विषय संख्या:1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11
अप्रैल, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11
अप्रैल, 1996 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।




अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

विषय संख्या: 2

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1996 के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन एवं संशोधित अपराधों की शमन उपविधि 1996 में किये गये प्राविधानों का अनुमोदन।

निर्णय:

शासनादेश संख्या: 2460/9-आ-1-95-6 डी.ए./81, दिनांक 5 अप्रैल, 1996 के माध्यम से प्राप्त विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1996 तथा शासनादेश संख्या: 2579/9-आ-1-96-6डी.ए./81, दिनांक 4 जून, 1996 द्वारा निर्गत संशोधित उपविधि के परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं दिनांक 22.6.96 से इसे अंगीकृत कर इसके क्रियन्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या: 3

स्विन्डर्स डम्प आलमबाग में अन्तीजला बस टरमिनस की योजना।

निर्णय :

स्विन्डर्सडम्प आलमबाग में अन्तीजला बस टरमिनस की योजना के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नार्कित निर्णय लिये गये:-

§1§ उ.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम को पत्र भेजकर उनकी आवश्यकताओं का विवरण प्राप्त कर लिया जाये।

§2§ स्थल से अनधिकृत अतिक्रमण को हटवाकर बाउन्डीवाल का निर्माण कराकर या मजबूत फेन्सिंग कराकर भूखण्ड को सुरक्षित किया जाये।

§3§ बस स्टेशन, प्राइवेट बस स्टैन्ड एवं टैक्सी स्टैन्ड के लिये पर्याप्त बुनियादी आवश्यकताओं का आकलन करा लिया जाये।

§4§ पूरे स्थल का एफ.ए.आर.समान न निर्धारित किया जाये बल्कि बस स्टेशन एवं शॉपिंग काम्प्लेक्स व अन्य सुविधाओं हेतु एफ.ए.आर. अलग-अलग निर्धारित किये जायें।

§5§ लगभग 3 एकड़ के क्षेत्रफल जहाँ पर दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं, का अलग प्रोजेक्ट तैयार कराया जाये।

§6§ आर्किटेक्चरल कन्ट्रोल लखनऊ विकास प्राधिकरण का रहेगा।

पन्द्रह दिनों में उक्त कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।



अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

विषय संख्या: 4

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत फार्म-हाउसेज की उपविधि।

निर्णय :

प्रस्तुत उपविधि निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित

की गई:-

§ 1 § बिन्दु 3.1 के अन्तर्गत 5000 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल वाले फार्म हाउस का ग्राउन्ड कवरेज 3.5 प्रतिशत रखा जाये।

§ 2 § बिन्दु-8 के अन्तर्गत साइड सेटबैक 3 मीटर एवं बैक सेटबैक 5 मीटर रखा जाये।

§ 3 § बिन्दु-9 के अन्तर्गत दस से अधिक फार्महाउसेज के पहुँच मार्ग की चौड़ाई कम से कम 12 मीटर रखी जाये।

§ 4 § बिन्दु-10 "ग" के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि श्रोत § कुँप, हैण्ड पम्प, ट्यूबवेल § एवं सैप्टिक टैंक के मध्य की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाये। दूरी निर्धारित करते समय दूसरे निकट के फार्महाउस में बने कुँप एवं सैप्टिक टैंक को भी दृष्टिगत रखा जाये।

§ 5 § बिन्दु-14 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि किसी भी फार्म हाउस की बिक्री बिना ले-आउट स्वीकृत कराये नहीं की जा सकेगी।

विषय संख्या: 5

कानपुर रोड स्थित बिजनौर लेक को विकसित करने तथा टूरिस्ट रिजाल्ट बनाने हेतु नियम व शर्तें ।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या: 6

स्कूल भूखण्डों के आक्टेन के सम्बन्ध में ।

निर्णय :

स्कूल भूखण्डों के आक्टेन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निम्न निर्देश दिये गये:-

§ 1 § गोमती नगर के छूटे हुए स्कूल भूखण्डों का शीघ्र आक्टेन किया जाये।

(Signature)

(Signature)

संयोजक

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

§ 2 §

ऐग्रीमेन्ट की शर्तों में यह क्लॉज जोड़ दिया जाये कि यदि स्कूल हेतु प्राप्त भूखण्ड का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा केन्द्र के रूप में किया जाता है तो अनुबन्ध की शर्तों एवं महायोजना के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने के साथ ही भूमि की कीमत व्यवसायिक दर से वसूली जाये।

विषय संख्या: 7

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत सलेज फार्म की भूमि पर फसल के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय:

सलेजफार्म की भूमि पर फसल के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या: 8

श्री रमाशंकर साहू को आवंटित शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड-1 में भूखण्ड संख्या: 1/5 के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना के जिन खण्डों में भूखण्ड उपलब्ध हो, प्रार्थी से उनके लिये सहमति प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या: 9

श्री राजेश चन्द्र निगम को टिकैतराय योजना में आवंटित भवन संख्या:बी-352/11 के स्थान पर गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में आर्शिवाद प्रकार का भवन परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विपुल खण्ड में आर्शिवाद प्रकार का भवन परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या: 10

गोमती नगर विपुल खण्ड में आवंटित भवन संख्या:6/236 आर्शिवाद के स्थान पर विपुल खण्ड में ही 288 वर्गमीटर का भूखण्ड परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

श्री आदित्य सिंह को विपुल खण्ड में भवन संख्या:6/236 आर्शिवाद के स्थान पर विपुल खण्ड में भूखण्ड

(Signature)

(Signature)
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

परिवर्तन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि विपुल खण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य खण्ड में जहाँ भूखण्ड उपलब्ध हों, की सहमति प्राप्त कर परिवर्तन कर दिया जाये।

अनु-विषय संख्या:1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय:

प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

§ 1 § विषय संख्या:5 पर निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश परीक्षण कर अवगत करायें कि महायोजना 2001 में आवासीय भूखण्डों के सेटबैक का प्रस्ताव किस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

§ 2 § आगामी बैठक में मलवा संचय शुल्क के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

§ 3 § विषय संख्या: 15 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पत्र भेजकर उनकी प्रतिक्रिया ज्ञात कर ली जाये।

अनु-विषय संख्या:2

दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों की दैनिक दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

अनु-विषय संख्या:3

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलने वाले साइकिल भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय:

अनुपूरक विषय संख्या:2 एवं 3 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्गत शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार सेवा शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाना चाहये। प्रस्ताव स्थगित § डेफर § किया गया।

अनु-विषय संख्या:4

श्रीमती डिम्पल वर्मा को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में आवंटित भवन संख्या:5/61 आर्शिवाद के स्थान पर



2.6.96

अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपलब्धता के आधार पर सहमति प्राप्त कर भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तित कर दिया जाये।

अनु. विषय संख्या: 5

श्री सुभाष कुमार भार्गव को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवंटित भवन संख्या:5/288 ए पर परिवर्तन के फलस्वरूप लगाये गये दण्ड व्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकृत किया गया कि अन्तर धनराशि जमा करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाये।

अनु. विषय संख्या:6

लखनऊ उत्तर रेलवे लाइन तथा गोमती नदी के बीच स्थित भूमि पर फार्महाउसेज की योजना।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तावों में किसी विसंगति को दूर करने के लिये आवश्यक संशोधन हेतु अधिकृत किया गया।

अनु. विषय संख्या:7

हरदोई रोड योजना में लाइसेन्स के आधार पर निजी निर्माताओं को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त उपाध्यक्ष/अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को शर्तों में संशोधन करने हेतु अधिकृत किया गया।

अनु. विषय संख्या: 8

राकलेण्ड डायग्नोस्टिक्स लि. {हास्पिटल} को 10 एकड़ भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।



अध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

निर्णय:

राकलेण्ड डायग्नोस्टिक्स लि. हास्पिटल को 10 एकड़ भूमि दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया जो कि वांछित सूचनायें एवं जानकारी प्राप्त कर शासनादेशानुसार अस्पताल को भूमि आवंटन की कार्यवाही करेंगे।

अनु. विषय संख्या:9

लखनऊ सुलतानपुर रोड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण वदारा प्रस्तावित योजना के अर्न्तगत निजी निर्माताओं/डेवलपर को लाइसेन्स के आधार पर भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

समय की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं हो सका तथा प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनु. विषय संख्या:10

श्रीमती सरोजसिंह व श्री शिवधर ग्राम हुसड़िया, गोमती नगर का विनीत खण्ड में निर्माण का समायोजन।

निर्णय:

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु. विषय संख्या:11

गोमती नगर योजना के विकास खण्ड-4 के ले-आउट प्लान व विशाल खण्ड-3 के सामने 30 मीटर चौड़ी सड़क पर दर्शाये गये भूखण्ड का प्रयोग "सुविधार्ये" से परिवर्तित कर आवासीय करने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु. विषय संख्या: 12

ग्राम शेखापुर के खसरा संख्या: 435 पी व 436 पी का अर्जन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनु. विषय संख्या:13


लखनऊ उत्तर रेलवे लाइन तथा गोमती नदी के बीच स्थित भूमि पर फार्म हाउसेज की योजना।

निर्णय:

इस विषय पर अनु. विषय संख्या:6 के अर्न्तगत निर्णय

लिया जा चुका है।




अध्यक्ष


लखनऊ विकास प्राधिकरण


अन्य निर्णय :

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित अन्य निर्णय लिये गये :-


§ 1 § लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दुबई में भारतीय सम्पत्ति प्रदर्शनी के दौरान सलंगन सूची के अनुसार फार्म हाउसेज के आक्टन के लिये धनराशि प्राप्त की थी। निर्णय लिया गया कि इन व्यक्तियों को लखनऊ उत्तर रेलवे लाइन तथा गोमती नदी के बीच स्थित भूमि पर फार्म हाउसेज योजना में सर्व प्रथम फार्म हाउसेज उपलब्ध कराये जायें।

§ 2 § लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर रोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि आगामी बैठकों से इसे आवश्यक रूप से एजेन्डा में सम्मिलित किया जाया करे।


§ प. प. खान §
सचिव


§ गंगादीन यादव §
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


§ नरेश दयाल §
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

हजरत गंज के तम्रीब तरोजनी नाबडु पार्क में भूमिगत पार्किंग बनाने
=====

के तम्बन्धा में :-
=====

महामहिम श्री राजबाल की अध्यक्षता में लखानउ राजधानी क्षेत्र के बिकात के तम्बन्धा में दिनांक 15. 2. 96 को हुई बैठक में निम्न निर्णय लिया गया था :-

"हजरत गंज में अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग के पुस्ताब का अनुमोदन हुआ । इत हेतु बर्षटन बजट में " तब- बे " के लिए स्वीकृत धनराशि एल० डी०ए० को दे दी जाय । शोषा योजना को अन्तिम रूप देकर आवश्यकतानुसार धनराशि आबात विभाग के माध्यम से प्राप्त की जाय । इत बर्षा बर्षटन विभाग द्वारा पुस्ताबित रुपये - एक करोड़, बच्चीत लाहा की धनराशि इत बर्षा में इत बरिबोजना हेतु दे दी जायेगी ।

बह भी निर्देशा हुए कि "तब- बे" की योजना के तम्बन्धा में भी पुस्ताब ताथा-ताथा बनाये जाय "

उपरोक्त निर्णय का अनुपालन करने हेतु तबं पुथाम यह आवश्यक था कि प्रोजेक्ट की ड्राइंग व डिजाइन आदि तैयार की जाय, जितते शीघ्र तिशाघ्र कार्य प्रारम्भा हो तके । चूंकि लखानउ बिकात प्राधिकरण में कार्यरत आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को इत बिशोषा कार्य हेतु बर्षाप्त अनुभाव नही था, अतः बर्षाप्त अनुभाव रखाने बाले प्राइबेट आर्कीटेक्ट को नियुक्त करने हेतु उपाध्यक्षा, लखानउ बिकात प्राधिकरण द्वारा दिनांक 7. 3. 96 को निम्न अधिकारियों की एक गठित की गयी थी :-

1. तयिब, लखानउ बिकात प्राधिकरण, लखानउ ।
2. अपर तयिब, लखानउ बिकात प्राधिकरण, लखानउ ।
3. मुख्य अभिबन्ता, लखानउ बिकात प्राधिकरण, लखानउ।
4. मुख्य नगर निबोजक, लखानउ बिकात प्राधिकरण, लखानउ।

इत तमिति ने लखानउ के निम्न लिखित तीन आर्कीटेक्ट ते दिनांक 11. 3. 96 को बिचार-बिभर्शा किया :-

1. मेतर्त स्काई आर्कीटेक्ट कन्सल्टेन्ट,
2. मेतर्त म्युरलेज,
3. मेतर्त राजेशा एण्ड एगोतिस्ट,

इत तमिति ने इन तीन आर्कीटेक्ट में ते मेतर्त राजेशा एण्ड एगोतिस्ट,

Lulu

को उपयुक्त बाधा एवं इन्हें यह कार्य तौबने की संस्तुति की । इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समिति की संस्तुति अनुमोदित की गयी एवं मेतर्त राजेश एण्ड एसोसिएट्स को यह कार्य तौबा गया ।

आर्कीटेक्ट के चयन के सम्बन्ध में एक टिप्पणी प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 22. 6. 96 में विचारार्थ रखी गयी थी, जितमें प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी भी अंकित थी । टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया था कि वित्तीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखाते हुए प्रथम तल पर दुकानें तथा शोषा दो तलों पर पार्किंग की व्यवस्था की गयी है, ताकि दुकानों की बिक्री से योजना का वित्त पोषण हो सके । टिप्पणी की फोटो प्रति संलग्न है।

उपरोक्त के क्रम में ही हजरतगंज क्षेत्र के तरोजनी नाबडू पार्क में भूमिगत पार्किंग के निर्माण हेतु महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 18. 3. 96 को शिलान्यास किया गया । शिलान्यास के अवसर पर उपाध्यक्ष, लखनऊ बिक्रम प्राधिकरण ने महामहिम श्री राज्यपाल से यह अनुरोध किया था कि प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने श्रोतों से इतका निर्माण करा सके, अतः शासन इस प्रोजेक्ट के लिए अनुदान स्वीकृत कर दे । इसी के फलस्वरूप एक प्रोजेक्ट शासन को अनुदान स्वीकृत करने हेतु भेजा गया था तथा वित्तीय वर्ष 1995-96 में रुपये 1.00 करोड़ की धनराशि अमुक्त करने का अनुरोध किया गया था ।

अनुदान स्वीकृत करने में वित्त विभाग द्वारा आवृत्त उठायी गयी एवं कितनी स्तर पर यह कहा गया कि लखनऊ बिक्रम प्राधिकरण, इस प्रोजेक्ट हेतु स्वयं वित्तीय व्यवस्था करें एवं इस प्रोजेक्ट को इकनॉमिकली वायबिल बनायें ।

इसके पश्चात् इस प्रोजेक्ट हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए इन्फ्रा-स्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज लि० से भी अनुरोध किया गया, परन्तु उन्होंने फाइनेन्स करने से मना कर दिया। पत्र की फोटो प्रति संलग्न है। चूंकि प्राधिकरण के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे एवं अभी भी नहीं हैं, अतः यह निर्णय लिया गया कि भूमिगत प्रथम तल पर यदि कामशुर्किल/दुकानें बनायी जायें, तो उनकी बिक्री/नीलामी से इतनी धनराशि प्राप्त हो जायेगी कि अन्य दो तल पर पार्किंग को सम्मिलित करते हुए पूरा प्रोजेक्ट फाइनेन्स हो जाये ।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रोजेक्ट को वायबिल बनाने के लिए भूमिगत

dh

पुथाम तल पर कामशिमिल तथा अन्व दो तल पर पार्किंग का प्रस्ताव किया गया।

यह उल्लेख करना है कि पार्क के चारों ओर सड़क जो तड़क निर्मित है, उसके लेबिल से नीचे हो पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित है, जितने पार्क का स्वत्व बिल्कुल न बदले शैला करने से पार्किंग स्थल के ऊपर पार्क को हरियाली आदि पूर्व की भाँति ही बनी रहेगी, बल्कि लेण्ड स्केपिंग करके इसे और अधिक आकर्षक व उपयोगी बनाया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,40,000 वर्ग फिट है, जितमें से एक भाग लगभग 60,000 वर्ग फिट में पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है, शेष 80,000 वर्ग फिट जितमें तरोजनी नायडू की प्रतिमा स्थापित है, को बचा रियायति में रखा जायेगा।

आर्कीटेक्ट द्वारा तैयार किए गये बिल आफ क्वान्टिटी के आधार पर दिनांक 25.5.96 को तमाचार पत्रों में बिधावत् प्रकाशन के उपरान्त निविदा आमन्त्रित की गई, कुल - 3 निविदाओं में तर्ब निम्न निविदा मेततं हिन्दुस्तान प्रीक्व लिमिटेड की स्पर्धा - 6.56 करोड प्राप्त हुई जितकी स्वीकृति प्रदान की गयी एवं कार्य का अनुबन्धा सम्पादित करके दिनांक 1.7.96 को से कार्य प्रारम्भ कराया गया।

उपरोक्त के तम्बन्धा में आयुक्त लखानऊ मण्डल ने अपने पत्रांक संख्या-19/पी०ए०/एल०डी०ए०/तरोजनी नायडू पार्क/9 दिनांक 2.8.1996 के माध्यम से कुछ कतिब बन्द उठाये गये थे। इत तम्बन्धा में प्रमुखा तचिब आबात की अधक्षाता में दिनांक 6.8.1996 को एक बैठक हुई थी, जितमें आयुक्त महोदय, उपाधक्षा लखानऊ बिकात प्राधिकरण, तंयुक्त तचिब आबात/ मुखय नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश तथा बिकात प्राधिकरण के अन्व अधिकारी उपस्थित थे। इत बैठक की कार्यवृत्ति ताथा में संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हजरतगंज में पीक तमय में पार्क होने वाले बाहनों की संख्या को दृष्टिगत रखाते हुए मात्र कार पार्किंग का ही निर्माण किया जाय। इत तम्बन्धा में उल्लेख करना है कि कार्य की जो निविदा स्वीकृत की गयी हैं उतमें कार पार्किंग/ग्रापिंग का कार्य तम्मिलित है। यदि ग्रापिंग के स्थान पर पार्किंग ही बनाया जाय तो निविदा की बिल आफ क्वान्टिटी में कोई बिशेषा परिवर्तन नहीं होगा, मात्र चिनाई आदि की मात्रा कुछ कम हो जायेगी क्यों कि पार्किंग क्षेत्र की ग्राइड एक ही है। शैली स्थिति में जो निविदा स्वीकृत हुई है उतमें कितती संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मात्र निविदादाता से सहमति प्राप्त करके उती अनुबन्धा

lsh

के अन्तर्गत पूरे पार्किंग का कार्य कराया जा सकता है ।

तरोजनी नाबडू पार्क में अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग के तम्बन्धा में प्रमुखा तच्चिब आबात की अधक्षाता में दिनांक 6. 8. 96 को हुई बैठक में लिख गये निर्णय के क्रम में ग्राम एवं नगर निबोजक द्वारा दिनांक 9. 8. 96 को अपनी राय दी गयी है जितकी प्रति दाँबी तरफ तंलग्न है , जितके द्वारा उन्होंने कहा है कि यदि पार्क के भूतल का भू- उपयोग नहीं बदलता है तो अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग का निर्माण किया जा सकता है ।

इत तम्बन्धा में यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 8. 8. 96 को माननीय उच्च न्यायालय छाण्डपीठ लखानऊ में एक जनहित वाचिका तंख्या- 2390/96 श्री विजयकृष्ण बना उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य दाबर हुई थी, जितमें दिनांक 12. 8. 96 को तुनवाई के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय की छाण्डपीठ ने वाची के अनुरोधानुसार स्थागन आदेश पारित करने से मना किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति तंलग्न है ।

तर्ब प्रथम योजना का प्राथमिक प्वाधानुमान प्लान्धा हरिबा रेट पर बनाया गया था, जितके आधार पर बरियोजना की निर्माण लागत धानांक स्वया- 7. 20 करोड़ आंकी गयी थी एवं स्वया 7. 00 करोड़ की धानराशि पर निबिदा में आमंत्रित की गयी थी , इसके बाद तिबिल कार्य का विस्तृत प्वाधानुमान आर्कीटेक्ट से बनवाया गया, जितके आधार पर तिबिल कार्य हेतु तर्ब निम्न निबिदा स्वया 6. 56 करोड़ स्वीकृत की गयी । इत लागत में विद्युत, तनेटरी, लिफ्ट मैकेनिकल बेन्टीलेशन इलेक्ट्रानिबत, बैरियर , एयर कन्डीशनर एवं लैण्ड स्केपिंग आदि तम्मिलित नहीं है । इन मदों को तम्मिलित करके प्रोजेक्ट की लागत धानांक स्वया - 11. 00 करोड़ हो जाती है । इतमें आर्कीटेक्ट को दी जाने वाली दो प्रतिशत की धानराशि तम्मिलित नहीं है ।

इत प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मात्र पार्किंग बनाने पर योजना के बित्त पोषाण की तमस्वा उत्पन्न होगी । इत तम्बन्धा में दिनांक 6. 8. 96 को प्रमुखा तच्चिब आबात की अधक्षाता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अपनी अन्य योजनाओं से इतका बित्त पोषाण कर सकता है । जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर में अंकीकत है । योजना की निर्माण लागत स्वया - 11. 00 करोड़ आंकी गई है । अतस्व इतनी अधिक धानराशि प्राधिकरण तरप्पत के रूप में नहीं उपलब्धा करा पायेगा अतस्व इत प्रोजेक्ट का बित्त पोषाण निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. बाबू भावन का निर्माण पूर्ण हो रहा है, जितमें जनस्था स्थित शासन

Dr. B. K. Singh

के विभाग/सचिवालय शिफ्ट होगी, अतः कलस्वरूप जनपथ के कार्यालय भवन के निस्तारण से जो आय होगी उतसे इतका बिलत पोषाण किया जा सकता है ।

2. लखनऊ शहर में स्थित कुछ नज़ूल भूखण्ड के निस्तारण का अधिकार शासन द्वारा प्राधिकरण को पूर्ण रूप से दे दिया जाय एवं उतकी बिक्री से जो आय हो, उतसे यह प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है ।
3. लाटूया रोड स्थित आर० टी० ओ० काम्पलेक्स की योजना प्रारम्भ करने से प्राप्त होने वाली आय का कुछ भाग इस प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है ।

यह भी उल्लेख करना है कि यह प्रोजेक्ट स्वयं में बायबिल न होने के कारण यह सम्भावना है कि हुडको श्रम स्वीकृत न करें ।

महामहिम की घोषणा के अनुसार कार्य प्रारम्भ कराया जाना आवश्यक था, अतः समझाभाव के कारण उपरोक्त विवरण के अनुसार आर्कीटेक्ट के चयन एवं प्रोजेक्ट आदि स्वीकृत की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ।

उपरोक्त टिप्पणी प्राधिकरण के समक्ष कार्यान्तर अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है ।

[Handwritten Signature]

महामोक्षम श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में लखनऊ राजधानी क्षेत्र के विकास की बैठक पर कार्यवृत्त दिनांक 15 फरवरी, 1996

पूर्व निर्देशों से सम्बंधित प्रकरण

- 1. जून 1996 तक द्वितीय जलकल की पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 2. 4 नलकूपों का निर्माण, 5 नलकूपों का रिबोर, 100 सराव हेण्ड पम्पों का रिबोर, 300 नये हेण्ड पम्पों को लगाने हेतु 127.4 लाख रुपये के अतिरिक्त 42.00 लाख रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता जल निगम द्वारा बतायी गयी। धनराशि नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन हुआ।

कार्यवाही: जल निगम, नगर विकास विभाग।

- 3. नूतन जलकल की स्थापना हेतु निम्न कार्यवाही अनुमोदित हुई:-

- क: दो दिन में आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ 20 एकड़ भूमि के चयन को फाइनल कर देंगे।
- ख: जल निगम को अवमुक्त 1.00 करोड़ रुपये की धनराशि बाउन्ड्रीवाल बनाने के के बजाय योजना स्थल के विकास के लिये प्रयोग की जायेगी।
- ग: लखनऊ विकास प्राधिकरण को 20 एकड़ जलवन वी भूमि के लिए 1.00 करोड़ अतिरिक्त 60 एकड़ जलाशय के लिए 3.00 करोड़ तथा एक जलाशय की 60 एकड़ भूमि को तीन मोटर तक सुदार्ढ के लिए एक करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा।
- घ: केनाल हेड का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा केनाल से जलाशय तक केनाल का कार्य जल निगम द्वारा किया जायेगा।
- च: 100 क्यूसेक पानी नहर से दिये जाने का अनुमोदन हुआ।
- छ: योजना का प्रारम्भ इस माह के अंत तक शिलालेग से होगा।

कार्यवाही: आयुक्त आवास, सिंचाई विभाग, जल लखनऊ विकास प्राधिकरण।

- 4. 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन का निर्माण दिसम्बर 1996 तक पूरा किया जाये। 220 के0वी0ए0 के अलग सब स्टेशन बनाने के बजाय वाद में इसी को अपग्रेड कर दिया जाये।

कार्यवाही: उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद

- 5. गोमतीनगर में दो 33 के0वी0 के सब स्टेशन शीघ्रतापूर्वक पूर्ण किया जायें।

कार्यवाही: उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद

5. लोक निर्माण विभाग को अयमुक्त 4.00 करोड़ रुपये की धनराशि में से 2.4 करोड़ का उपयोग हुआ है। शेष कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाये।

कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग

6. रेलवे फ्रांसिंग के 13 डिवाइडरों का कार्य मार्च 96 तक पूरा किया जाये।

कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग

7. पारवर्तन चौक से सम्बन्धित कार्य में अनावश्यक विलम्ब हुआ है। इसे तत्काल पूरा किया जाये।

कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग

8. हुसेनाबाद धक्कर गैलरी योजना को शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाये। महामहिम सुभिक्षानुसार इसका निरीक्षण करना चाहेंगे।

कार्यवाही: लखनऊ विकास प्राधिकरण।

9. नगर के चौराहों के सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम को शीघ्र चालू किया जाये। जिन चौराहों के रिडिजाइन की आवश्यकता हो, उसे संबंधित विभाग द्वारा मार्च तक पूरा करा लिया जाये।

कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

10. हजरतगंज, फेसरबाग की पुतई का कार्य एक माह में पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही: लखनऊ विकास प्राधिकरण।

11. नगर में टेम्पो स्टॉप, जेब्रा फ्रांसिंग, साइन पोस्ट में सुधार के लिए 65.00 लाख रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायें। 5 प्रस्तावित टेम्पो स्टैण्डों में से केवल एक बना है, शेष जून तक पूरा किया जाये।

कार्यवाही: आवास विभाग, लखनऊ

12. अनाधिकृत गाँडियों को हटाने की व्यवस्था सक्रिय की जाये।

कार्यवाही: जिला प्रशासन, पुलिस विभाग

13. लोक निर्माण विभाग को अयमुक्त 132.03 लाख रुपये की अपेक्षा की

सप्तम उच्च राजधानी क्षेत्र विकास-नये प्रस्ताव

1- शंकरा नगर क्षेत्र के गाठ पुराने नलकूपी रिफ्लेसमेंट के लिये रु० 40 लाख का अनुमोदन हुआ।

एजेन्सी-नगर विकास विभाग।

2- रिंग रोड अलीगंज, जानकीपुरम, विकास नगर व ग्रामीण क्षेत्र के पानी विकास हेतु नाला निर्माण हेतु रु० दो करोड़ की धनराशि दिये जाने का अनुमोदन हुआ। कार्यवाही जून 1996 तक पूरी की जायेगी।

एजेन्सी-आवास विभाग/प्लान 0डी10ए0

3- गौमतीनगर बैराज के पास बादशाह नगर रेलवे लाइन से कुकरेल पुल, यूपर मिल कालोनी होते हुये सड़क लांक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने का अनुमोदन हुआ।

एजेन्सी-लोक निर्माण विभाग।

4- फेजाबाद रोड, सीतापुर रोड के रिंग रोड के अंश को दोनों तरफ एक एक लेन चौड़ा करने और सीतापुर रोड के पास रेलवे क्रासिंग को चौड़ा करने का अनुमोदन हुआ।

एजेन्सी- लोक निर्माण विभाग

5- रेलवे लाइन पर निम्न प्लानों के निर्माण का अनुमोदन हुआ:-

1- निराला नगर क्रासिंग ।

2- रिंग रोड सीतापुर क्रासिंग।

3- फेजाबाद रोड - सुलतानपुर रोड, मनपुर रोड की प्रस्तावित रिंग रोड 8 मीटर राईड पर पर तीन प्लानों के निर्माण

एजेन्सी- लोक निर्माण विभाग

6- हेरिटेज भवनों को चिन्हित करने व केसरबाग क्षेत्र में इनटेक के परामर्श से भवन व पार्क को सुव्यवस्थित करने की कार्यवाही का अनुमोदन हुआ। इस हेतु पौरयोजना इनटेक के परामर्श से प्लान 0डी10ए0 द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। पर्यटन विभाग में स्वीकृत धनराशि प्लान 0डी10ए0 को दे दी जायेगी और शेष धनराशि योजना को अंतिम रूप देने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

एजेन्सी- पर्यटन एवं आवास विभाग

हे। इसमें महत्वपूर्ण चौराहों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 60.00 लाख रुपये की धनराशि तत्काल व्यवस्था करने की कार्यवाही की जाये। शेष के लिए नगर निगम को धनराशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही: नगर विकास विभाग, स०पि०प्रा०

13. ट्रान्सपोर्ट नगर में भारी याहनों एवं ट्रान्सपोर्ट एजेंसी की शिफ्टिंग फरवरी माह में ही सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही: लखनऊ विकास प्राधिकरण।

14. पशुओं के आयागमन हेतु निर्धारित समय का पालन सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही: जिला प्रशासन नगर निगम

15. चोक मण्डी, केसरबाग सब्जीमण्डी एवं नवीउल्लाह रोड चांस मण्डी की शिफ्टिंग बुबगा मण्डी स्थल पर एक माह में सुनिश्चित की जाये।

कार्यवाही: लखनऊ विकास प्राधिकरण

16. नगर निगम क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था सुव्यवस्थित की जाये। नगर निगम को इस हेतु 20.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये जायें।

कार्यवाही: नगर विकास विभाग, नगर निगम लखनऊ विकास प्राधिकरण।

17. नगर निगम को कूड़ा निस्तारण यन्त्रों के क्रय तथा कूड़ा घर/शोचालयों की व्यवस्था के लिए 2.00 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाये।

कार्यवाही : नगर विकास विभाग

18. गोमती नदी पर दो प्रस्तावित पुलों के अंतर्गत फरवरी सीतापुर रिग रोड पर एक पुल गोमती नदी पर बनाने का अनुमोदन हुआ। पुल का निर्माण में 50% अंशदान मंडी पूरपट से होगा। शेष की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा की जायेगी। इस हेतु मीम अधिग्रहण की कार्यवाही तत्काल की जाये। गोमती नदी पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बी०ओ०टी० आधार पर करने का प्रयत्न किया जाये।

कार्यवाही: मण्डी परिषद, लोक निर्माण विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण।

19. अमर शाहीय पथ हेतु भूमि का अर्जन 31 मई तक सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही: लखनऊ विकास प्राधिकरण

7- सिविल इंजीनियरिंग ऑडिटोरियम, राय उमानाथ बनी प्रेक्षा गृह को सुव्यवस्थित करने की कार्यवाही का अनुमोदन हुआ। धनराशि सार्वजनिक कार्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। 30 प्रोग्राम-ना विमान संस्थान की ऑडिटोरियम की साज सज्जा हेतु गन्ना निधि से रु० 25 लाख उपलब्ध कराया जायेगा।

सार्वजनिक कार्य/ गन्ना विकास विभाग।

8- हजरतगंज में अंडरग्राउंड पार्किंग के प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ। इस हेतु पर्यटन बजट में "सब दे" के लिये स्वीकृत धनराशि एल०डी०ए० को दे दी जाय। शेष योजना को अंतिम रूप देकर आवश्यकतानुसार धनराशि आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त की जाय। इस वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित रु० एक करोड़ पच्चीस लाख की धनराशि इस वर्ष में इस परियोजना हेतु दे दी जायेगी।

यह भी निर्देश दिये गये कि सब दे की योजना के संबंध में भी प्रस्ताव साथ साथ बनाये जाय।

एजेन्सी-एल०डी०ए०/पर्यटन विभाग।

9- चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने से बस स्टेशन को सिन्डर्सडम्प आलम बाग में हस्तान्तरित करने का अनुमोदन हुआ। कार्य एल०डी०ए० द्वारा होगा। सिन्डर्सडम्प में प्रारंभिक व्यवस्था पूरी होती ही चारबाग स्थित भवन साली करके एल०डी०ए० को उपलब्ध करा दिया जायेगा और इसकी धनराशि से वह नयी योजना पूरी करेगी। सिन्डर्सडम्प में प्राइवेट बसें को ठहरने की व्यवस्था भी रसी जाय। योजना का स्वरूप व्यापारिक होगा। एक सप्ताह में परिवहन निगम अपने बस स्टेशन हेतु स्थान की आवश्यकता का विवरण एल०डी०ए० को उपलब्ध करायेगी। इस संबंध में आयुक्त लखनऊ मंडल प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी।

फेसरबाग बस स्टेशन को भी इसी माध्यम पर गोमतीनगर और सीतापुर गेट पर शिफ्ट करने की कार्यवाही की जाय।

एजेन्सी-एल०डी०ए०/परिवहन निगम।

10- लखनऊ में गाम, भेसी का शहर में प्रभावित करने के लिये नियम बनाये जाय।

एजेन्सी- नगर विकास विभाग

11- गोमती नगर में जल प्लावन की आशंका से बचने के लिये पम्प स्टेशन / वेरल निमाण का अनुमोदन हुआ।

एजेन्सी- नगर विकास विभाग

12 - फेजाबाद रोड पर व सीतापुर रोड को जोड़ने वाली रिंग रोड पर प्रकाश की व्यवस्था की जाय। इस हेतु नगर निगम को रु० 30 लाख उपलब्ध कराये जायेंगे।
एजेन्सी- नगर विकास विभाग

13- फेजाबाद रोड एवं गोमती बेराज को जोड़ने वाली रिंग रोड की क्रासिंग को तत्काल चौड़ा किया जाय। योजना के समीप लोक निर्माण विभाग के अस्थायी निर्माण को तत्काल हटा दिया जाय।
एजेन्सी- लोक निर्माण विभाग।

14- फेजाबाद रोड, गोमती बेराज के रिंग रोड पर विश्वास संड जंक्शन पर, शिविकसंड जंक्शन पर, फेजाबाद रोड के जंक्शन पर चौराहे शीघ्र बनाये जायें।
एजेन्सी- लोक निर्माण विभाग

15- मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे के कार्यालय को हजरतगंज से शिफ्ट करने के विषय में भारत सरकार से अनुरोध किया जाय।
एजेन्सी- लखनऊ विकास प्राधिकरण।

16- आतिथमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही की जाय। नोडल एजेन्सी एल०डी०ए० होगी। इस हेतु एक प्लाटन पी०ए०सी०, 20 कन्स्टेबल, 2 सब इंस्पेक्टर व नगर निगम, लोक निर्माण व आवास एवं विनाय पी०ए० के एक एक अवर आभ्यन्त आतिथमण विरोधी दस्ते में स्थायी रूप से साम्राज्य किये जाय। अत्यन्त संवेदनशील त्योहारों या शांति व्यवस्था की गम्भीर आवश्यकता के अतिरिक्त संबंधित पुलिस दल बसकर इस दस्ते से सम्बन्ध रहेगा।
एजेन्सी- गृह विभाग/एल०डी०ए०/नगर निगम, आवास एवं विकास परिषद्, ला०नि०वि०

17- भातसंडे संगीत महाविद्यालय, ललित गंगा अकादमी के संबंध में सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
एजेन्सी-सांस्कृतिक कार्य विभाग

चारबाग के समीप एवं डफरिन अस्पताल की सड़क पर हुये आपत्तिजनक आतिथमण प्रभावी ढंग से हटाया जाय।
एजेन्सी- एल०डी०ए०

18- इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान परियोजना में अनावश्यक खिलख हो रहा है। इस हेतु योजना के मुख्य अंश को दो वर्ष में पूरा करना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में औचकन्य साहस धनराशि का प्रस्ताव 10 दिन में आवास विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाय।

विषय: सरोजनी चाण्डू पार्क खरतमेंज में भूमिगत शार्पिंग/कार पार्क की
डिजाईन हेतु आर्कीटेक्ट को नियुक्ति-

अवगत:-

खरतमेंज में वाहनों के पार्किंग की गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि खरतमेंज में सरोजनी चाण्डू पार्क में एक भूमिगत पार्किंग बनायी जाये। इसका शिष्टान्तरास महामंत्रीम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा विनाई 18 मार्च, 96 को किया गया था। शिष्टान्तरास अनुसार पर महामंत्रीम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि इस पार्किंग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जाये, जिससे शहर के प्रतिष्ठित क्षेत्र खरतमेंज में पार्किंग की समस्या का रखाई निराकरण हो सके। पार्किंग निर्माण से पूर्व यह आवश्यक था कि इसकी डिजाईनिंग करा ली जाये। लखनऊ विकास प्राधिकरण में पर्याप्त स्टाफ नहीं है, तथा यह भी आवश्यक था कि इसकी डिजाईन इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले किसी अच्छे आर्कीटेक्ट से कराया जाये। इसी कारण से यह उचित पाया गया कि कार्यालय में स्थानीय आर्कीटेक्ट को बुलाकर उनके अनुभव आदि के बारे में जानकारी कर ली जाये एवं उपयुक्त आर्कीटेक्ट को यह कार्य सौंप दिया जाये।

पूर्व में इस योजना हेतु शासन से पुराणित उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा गया था, परन्तु शासन से पुराणित नहीं उपलब्ध हो सकी। योजना को इकोनामिकल वाईजिल बनाने के लिये यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम तल पर दुकानों का निर्माण किया गया जाये, तथा दो टियर की पार्किंग बनाई जाये, इसके विस्तृत पोषण के लिये ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है। समय अत्यन्त कम था। लखनऊ के प्रतिष्ठित एवं इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आर्कीटेक्ट को उनके विवरण के साथ बुलाया गया था, जिसमें आर्कीटेक्ट के अनुभव के साथ-साथ स्ट्रक्चरल तथा सॉसियल कन्सल्टेन्ट पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

स्थानीय आर्कीटेक्ट मैसर्स राजेश एण्ड एसोसिएट्स को इस कार्य का अनुभव प्राप्त है।

उपरोक्त क्र. क्र. म. में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आर्कीटेक्ट के चयन हेतु एक समिति गठित की गयी थी, जिसमें सचिव/अपरसचिव/मुख्य अभियन्ता/मुख्य नगर आयोजक रहे गये थे। इस समिति ने उपयुक्त आर्कीटेक्ट के चयन के सम्बन्ध में आर्कीटेक्ट को बुलाकर चिन्तन-विमर्श किया गया एवं समिति ने मैसर्स राजेश एण्ड एसोसिएट्स को उपयुक्त पाया।

पृष्ठ-14

Page 14 of 16

To: Mr. Anil Kumar
Secretary
Public Works Department, Lucknow
Lucknow, Uttar Pradesh

Handwritten notes and stamps in the top right corner.

Subject: Underground Shopping/Car Parking Complex at Hazratganj

Dear Sir,

We refer to your letter no. 222/M/1996 dated May 28, 1996 regarding construction of Underground Shopping and Car parking Complex at Hazratganj in Lucknow.

We have perused through the Project Report and have also noted that the total project cost including land cost is approximately Rs. 24.00 Crores.

As you are aware, AIES is primarily engaged in implementation of Infrastructure Projects such as road and bridge. Presently our focus is on road/bridge infrastructure except viaducts, Roads, Water supply, Effluent Treatment Schemes, etc. Though the Car parking and Shopping Complex is primarily a civil infrastructure project, the same does not qualify under core infrastructure project. In view of above, we regret our inability to associate with you for this project.

However, the proposed Car Park/Shopping Complex being small sized (Rs. 24.00 Cr.) and being an urban project, it may be considered as a project, appear to be ideal for adoption. Advance of Rs. 24.00 Crores under Credit Facility for project implementation.

We thank you for showing interest in our organization and look forward to associate with you for infrastructure projects in future.

Yours faithfully,

Mr. Anil Kumar
Director, Infrastructure

Handwritten signature.

सिपाही की पत्नी की पिटाई, बाली व चेन लूटी

संवादक रामधर

संवादक, 20 अप्रैल 1996 को गाना शहर के सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

निविदा सूचना

संवादक, संयोजक, निदेशक प्राधिकरण, संयोजक द्वारा निविदा/विज्ञापित कार्य हेतु...

- 1. कार्य का नाम : हनुमानगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 पर भूमिगत कर पार्किंग का निर्माण...
2. कार्य का नाम : गाना शहर योजना के विभिन्न लण्ड में 300 प्रो सिविल सर्विसेज इन्सटीट्यूट के अधिकारियों हेतु आवास (रजिस्टर्ड हॉस्टल) का निर्माण...

निविदा/विज्ञापित कार्य हेतु निविदा/विज्ञापित कार्य हेतु निविदा/विज्ञापित कार्य हेतु...

कार्य का नाम : गाना शहर योजना के विभिन्न लण्ड में 300 प्रो सिविल सर्विसेज इन्सटीट्यूट के अधिकारियों हेतु आवास (रजिस्टर्ड हॉस्टल) का निर्माण...



(ललित केशर) मुख्य अभियंता

संयोजक विकास प्राधिकरण

कार्यालय अधिशासी अभियंता, दूरसंचार

मिथिल दिवंगन

प्रधान डाकघर बिल्डिंग, कानपुर-208001

प्रेस सूचना

संयोजक, अधिशासी अभियंता, मिथिल दिवंगन, कानपुर भारत गणराज्य...

किसी भी दल के

गाना श्रीगानस्य संवादक रामधर

संवादक, 20 अप्रैल 1996 को गाना शहर के सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

इसके पश्चात् जेल में भूख हड़ताल का खतरा था कि एक सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

इसके पश्चात् जेल में भूख हड़ताल का खतरा था कि एक सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

समस्याओं का निराकरण

संवादक, 20 अप्रैल 1996 को गाना शहर के सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

इसके पश्चात् जेल में भूख हड़ताल का खतरा था कि एक सिपाही की पत्नी की पिटाई का खतरा था कि एक...

श्री

कार्यवाही को मजदूर विस्तार में उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान के संज्ञेयक इशारा...

प्रमुखा सचिव-आवास, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 6. 8. 96 को
 शायं 6.0 बजे हजरत गंज भूमिगत पार्किंग के सम्बन्ध में हुई बैठक की कार्यवृत्ति:-

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

1. श्री नरेश दयाल, आयुक्त लखानऊ मण्डल,
2. श्री गंगादीन यादव, उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
3. श्री जोषी नन्दन, संयुक्त सचिव-आवास/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ० प्र०,
4. श्री पी० सी० मेहरोत्रा, मुख्य अभियन्ता, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
5. श्री एस० बी० मिश्र, अधीक्षणा अभियन्ता, लखानऊ विकास प्राधिकरण,

इस बैठक में हजरत गंज के समीप सरोजनी नारडू पार्क में प्रस्तावित अण्डर
 ग्राउण्ड पार्किंग के सम्बन्ध में आयुक्त, लखानऊ मण्डल के पत्र संख्या-19/पी०एस०/एस०डी०
 एस०/सरोजनी नारडू पार्क/9 दिनांक 2. 8. 96 के माध्यम से उठाये गये बिन्दुओं पर चर्चा हुई।

1. बैठक में इस बिन्दु पर विचार-विमर्श हुआ कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश पार्क, जो ग्राउण्ड
 एण्ड ओपेन स्पेस रिजर्वेशन एण्ड रेगुलेशन एक्ट, 1975 के प्राविधान लागू हैं
 अर्थात् नयी 9 शासन स्तर से बताया गया कि एन एक्ट की निगमावली अभी नहीं
 बनी है, अतः इसके प्राविधान अभी लागू नहीं हैं।
2. सरोजनी नारडू पार्क के वर्तमान भू-उपयोग तथा पार्किंग के निर्माण के उपरान्त
 भू-उपयोग के प्रकृति के सम्बन्ध में चर्चा हुई। बैठक में लखानऊ विकास प्राधिकरण
 के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र का वर्तमान भू-उपयोग महायोजना
 के अनुसार पार्क है। पार्किंग के निर्माण के उपरान्त भू-उपयोग की प्रकृति के सम्बन्ध
 में विचार-विमर्श हुआ। प्रमुखा सचिव अतीव्य ने यह बताया कि शासन द्वारा मुख्य
 नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश से इस बिन्दु पर राय लेकर लखानऊ विकास प्राधिकरण को अवगत कराया जायेगा।
3. बैठक में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि यह योजना निजी
 क्षेत्र को नहीं सौंपी गयी है बल्कि प्राधिकरण में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार
 केवल निर्माण कार्य को निविदा, प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदार के मध्य सूचना के
 अनुसार आमंत्रित की गई। सर्व निम्न निविदा भेजने हिन्दुस्तान प्रोपेब लिमिटेड
 जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, की स्वीकृति की गई है एवं कार्यादेश
 जारी किया गया।
4. इस योजना में कार पार्क के साथ-साथ वाणिज्य का प्राविधान सम्मिलित करने

के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ। हजरतगंज क्षेत्र में पीक समय में पार्क की जाने वाले वाहनों की संख्या को दृष्टिगत रखाते हुए इस स्थल पर केवल कार पार्किंग का ही प्राविधान किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे आगामी कुछ घंटों तक हजरत गंज क्षेत्र में पार्किंग की समस्या न हो।

केवल कार पार्किंग का निर्माण करने पर प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय संसाधन की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ एवं यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अन्य कोई कामचिप योजना तैयार करके उससे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग कर सकता है एवं जब तक यह कार्यवाही पूरी नहीं होती है तब तक हड़को से ऋण स्वीकृत करा लिया जाये।

5. इस योजना की स्वीकृति प्राधिकरण से प्राप्त करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बैठक में बताया गया कि 22, जून 1996 को प्राधिकरण बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें अनुरक विधाय के स्व में इस योजना से सम्बन्धित एक प्रस्ताव रखा गया था। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उक्त तिथि को रखे गये प्रस्ताव में योजना का विस्तृत विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया था, अतः उन्होंने प्राधिकरण बोर्ड में पुनः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विचार-विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण की अगली बैठक दिनांक 16.8.96 को 12.0 बजे दोपहर रखाने का निर्णय लिया गया।
6. विचार-विमर्श के उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड के बैठक तक निर्माण कार्य स्थगित रखा जाय।

॥ गंगादीन यादव ॥
उपाध्यक्ष,

अनुमोदित,

॥ अखण्ड प्रताप सिंह ॥
प्रमुखा सचिव,
आवास

Subject:- Proposed under ground Car Parking at S.N. Park, Hazrat Ganj, Lucknow.

The land under question is a Park under Lucknow Development Area and its landuse is govern by Master Plan of Lucknow 2001 which was approved by government vide order No. 549/9-3-92-8 Maha/8 dated 14.2.92.

The Master Plan is being implemented under the statutory provisions contained in Master plan and U.P. Urban Planning and Development Act 1973.

Parking is an ancillary use and can be permitted as incidental use to any use zone as per the requirement of that use zone. According to provision of zoning regulations contained in Master Plan of Lucknow for sub use zone PARK the construction of taxi and scooter stand is permitted with the permission of Competent Authority which in the present case is Lucknow Development Authority.

The section 13 of U.P. urban planning & Development Act provides.

"The Authority may make any amendments in the master plan or the zonal development plan as it thinks fit, being amendments which, in its opinion do not effect important alterations in the character of the plan and which do not relate to the extent of land uses or the standards of population density".

In the light of the above provision, if the ground surface landuse, which in this case is park is

not changed or is maintained as it is even after redevelopment by providing of under ground parking then it does not constitute a change in the proposed character of landuse that is 'park'.

K.C. Saxena
9.8.56
(K.C. Saxena)
Senior Planner.

M.C.
11/11/56
C.T.C.P.

हरदोई रोड योजना में लाइसेन्स के आधार पर निजी निर्माताओं को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में आख्या:-

आख्या:-
=====

हरदोई रोड योजना में लाइसेन्स के आधार पर निजी निर्माताओं/ डेवलपर को भूमि आवंटित करने के लिए एक आख्या प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22. 6. 96 में रखा गया था। आख्या के साथ प्रस्तावित नियम व शर्तें भी प्राधिकरण की बैठक में रखा गया थी। बैठक में प्रमुख सचिव-आवास द्वारा यह बताया गया कि निजी निर्माताओं को भूमि आवंटित करने के लिए हाल ही में एक शासनादेश हुआ है, जितके प्राविधानों को भी सम्मिलित करते हुए नियम व शर्तें बनाई जाय।

अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव-आवास द्वारा जारी शासनादेश सं०=2805/9-आ-1-1996 दिनांक 18. 6. 96 के माध्यम से विकास कार्यों में शहरी आवास नीति के अनुसार निजी निर्माताओं की सहभागिता तथा उनके पूँजी-निवेश को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसे सम्मिलित करते हुए नियम व शर्तें संशोधित की गयी हैं, जो दायी तरफ संलग्न हैं।

अवगत कराना है कि हरदोई रोड योजना के अर्जन हेतु धारा-4/17 की विज्ञापित दिनांक 12. 11. 81 तथा धारा-6/17 की विज्ञापित दिनांक 30. 7. 83 को प्रकाशित करायी गयी थी, जितके अन्तर्गत कुल 1355. 92 एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी। इसके पश्चात् दिनांक 25. 9. 85 को विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी द्वारा 1214. 19 एकड़ भूमि का बकाया तालिका 10 प्रा० को हस्तान्तरित किया गया एवं दिनांक 25. 9. 86 को इस योजना का अधिनिर्माण विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी ने घोषित किया। घोषित एवार्ड के अनुसार निम्नलिखित ग्रामों जिनकी भूमि अर्जित की गयी थी, उनके सामने लिखाीदर से प्रतिर निर्धारित किया गया:-

1.	ग्राम बेगरिया	0. 18 पैसे प्रति वर्ग फुट
2.	ग्राम छन्दो हिया	0. 16 "
3.	ग्राम बरावन खुर्द	0. 17 "
4.	ग्राम पीर नगर	0. 06 "
5.	ग्राम बरीकला	0. 05 "
6.	ग्राम गजरा हाल	0. 04 पैसे

प्रतिकर की उपरोक्त धनराशि निर्धारित करने के उपरान्त किसानों द्वारा यह कहकर भूमि का स्थान पर कब्जा नहीं होने दिया गया कि प्रतिकर की धनराशि अत्यधिक कम है एवं अभी तक इस योजना में कोई विकास नहीं हो सका है।

प्रतिकर की उपरोक्त दर के विरुद्ध हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा लगभग 300 वाद नगर महापालिका न्यायाधीकरण में भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत संदर्भित किये गये थे जिनमें चार वादों का निस्तारण न्यायाधीकरण द्वारा किया गया है:-

- ११॥ वाद सं०-194/187 श्री हशित्याँक अली व अन्य बनाम उ०प्र०राज्य सरकार ।
- १२॥ वाद सं०-195/187 श्री हशित्याँक अली व अन्य बनाम उ०प्र०राज्य सरकार ।
- १३॥ वाद सं०-196/187 श्री दारिकानाथ व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य सरकार ।
- १४॥ वाद सं०-197/187 श्री जी० एन० श्रीवारतव व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार ।

उक्त वादों द्वारा ग्राम छन्दो हिया तथा वेगरिया की लगभग एक बीघा भूमि जो तड़क पर स्थित है, हेतु ६०-६.०० प्रति वर्ग फुट तथा उतते हटकर इन्हीं ग्रामों की ०-१२-८-० भूमि हेतु ६०-५.०० प्रति वर्ग फुट, अन्य ७-१५-०-० हेतु ६०- १.५० प्रति वर्गफुट तथा ३-१५-१२-० जो गड्डे में है, हेतु ६०-१.५० प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिकर निर्धारित किया गया। इसके विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गयी है, जो सुनवाई हेतु लम्बित है, परन्तु स्थायत आदेश प्राप्त नहीं हैं।

धारा-18 के अन्तर्गत हुए निर्णय के आधार पर अगर जिला धिकारी भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा-28 ए के अन्तर्गत दो संदर्भित वाद- श्री विश्वनाथ व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार तथा श्री बुद्धु व अन्य बनाम उ०प्र० सरकार में बढ़ी हुई प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण दिनांक 15.6.96 को किया। इसके विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण मा० उच्च न्यायालय में अपील दाखल कर रहा है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भविष्य में अवशेष भूमि के लिए धारा-18 के अन्तर्गत अध्यापित धारा-28 ए के अन्तर्गत प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी तक्षम न्यायालय द्वारा की जासकती है।

इसी को दृष्टिगत रखाते हुए लाइसेंस के आधार पर निजी निर्माताओं को भूमि आवंटित करने हेतु प्रस्तावित नियम य. शर्ते के पैरा-5.1 में यह प्राविधान किया गया है कि यदि प्रतिकर की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी होती हैतो वह निजी निर्माताओं को भुगतान करनी होगी। पैरा- 5.2 में यह प्राविधान रखा गया कि यदि निजी निर्माताओं द्वारा बढ़ी हुई धनराशि

का भुगतान नहीं गया गया तो वह राजस्व अवशोषा के रूप में वसूली जायेगी।

शासनादेश सं०-2805/9-आ-1-1996 दिनांक 18.6.96 के बिन्दु-4 में यह उल्लेख है कि विकास कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु 20% धनराशि की बैंक गारन्टी ली जाय अथवा 20% भूमि बन्धाक रखा जाय। विचार-विमर्श के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि यदि किसी न्यायालय द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है एवं यदि यह धनराशि निजी-निर्माता द्वारा भुगतान न किया जाय तब प्राधिकरण को क्या उपाय करना होगा। इस बिन्दु पर विचार-विमर्श के दौरान यह उचित पाया गया कि जो निजी निर्माता लाइसेन्स पर भूमि लेगा उसे किसानों से प्रतिकर का सम्झौता करके अन्तिम रूप से सेटलमेन्ट करना होगा एवं फाइनल सेटलमेन्ट एग्जीक्यूटिव प्राधिकरण में जमा करना होगा। बढ़ी हुई प्रतिकर की धनराशि निजी निर्माताओं द्वारा समय से दे दिया जाय अथवा किसानों से प्रतिकर का फाइनल सेटलमेन्ट कर लिया जाय इसे सुनिश्चित करनेके लिए कुछ अधिक भूमि बन्धाक रखाने अथवा अधिक धनराशि की बैंकगारंटी प्राप्त करने पर विचार-किया गया। इसी कारण शर्त सं०-19 में 20 प्रतिशत के स्थान पर 30% धनराशि की बैंक गारन्टी अथवा 30 प्रतिशत भूमि बन्धाक रखाने का प्राविधान रखा गया है। यह बैंक गारन्टी तब तक वैध होगी अथवा यह भूमि तब तक बन्धाक रहेगी जब तक योजनाका विकास कार्य पूर्ण न हो जाय एवं निजी निर्माताओं द्वारा किसानों से प्रतिकर का अन्तिम सेटलमेन्ट करके सम्झौता अनुबन्धा लखानउ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध न करा दिया जाये।

शासनादेश दिनांक 18.6.96 के बिन्दु-3 में भूमि का कब्जा 25% धनराशि जमा करने के उपरान्त देने का तथा शेष धनराशि किस्तों में 21 प्रतिशत ब्याज सहित लेने का प्राविधान रखा गया है जबकि शासनादेश के बिन्दु-6 में यह उल्लेख है कि बाह्य विकास कार्य ले-आऊट पास करते समय वास्तविक व्ययके आधार पर लिए जायेंगे। इन दोनों प्राविधानों में विरोधाभास है।

अतः उचित यह होगा कि बाह्य विकास कार्यकी लागत भी इसी के अनुरूप ही लिया जाय तदनुसार प्रस्तावित नियम व शर्तों के पैरा-11.1 व 11.2 में प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के साथ-साथ शासनादेश दिनांक 18.6.96 जिसकी प्रति लिपि संलग्न है, के अन्य प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए नियम व शर्तें

प्रस्तावित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है।

यह भी उल्लेख करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.4.96 में विषय सं० -6 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था। लाइसेन्स के आधार पर आवंटित भूमि की दर भू-अर्जन के मुआवजे की धारणा का $\frac{25}{100}$ जोड़ने पर 25% ओवर हेड चार्ज लगाकर निर्धारित की जाय।

मूल आभा निर्णय में निर्धारित दर 0.04 पैसे प्रति वर्ग फिट से 0.18 पैसे प्रति वर्ग फिट वार्षिक दर मानते हुए जो गणना की गयी है उसमें 25% जोड़ने पर यह धारणा मात्र रु०-15.00 प्रति वर्गमी० आती है इसमें सौतल सविशेष आदि जोड़ने पर रु० 20 प्रति वर्गमी० की दर के आस-पास रहेगी। यहाँ यह उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है कि धारा-18 व धारा-28 ए के अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा जो प्रतिफल निर्धारित किया जा रहा है वह इतने कई गुना अधिक है, परन्तु इसके विरुद्ध लहाने विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखल की जा चुकी है।

प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त टिप्पणी तथा संलग्न नियम व शर्तों पर विचार करने एवं अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है:-

1. निजी निर्माताओं को आवंटित की जाने वाली भूमि की दर तथा टोनी बाहिये।
2. न्यायालय द्वारा प्रतिफल की भाविष्य में बढ़ायी गयी धारणा की वसूली निजी निर्माताओं से समय से हो जाय इसके किस प्रकार सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

*TERMS AND CONDITIONS
FOR
ALLOTMENT OF LAND
ON
LICENCE BASIS*



LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF LAND TO
PRIVATE BUILDERS

1. SCHEME :

HARDOI ROAD SCHEME

2. LOCATION :

The site, Hardoi Road Scheme is 12 Kms. from Charbagh Railway Station, 8 Kms. from Hazratganj (the main market of the city), 18 kms. from Amausi Airport. The above site is 6 Kms. from Aminabad & 4 Kms. from Chowk.

3. ELIGIBILITY FOR ALLOTMENT OF LAND :

- 3.1 Private builder must have experience of developing a colony of minimum 50 acre area or must have a turn over of minimum Rs. 50 crore which should be supported by balance sheet.
- 3.2 All such builders must have a firm or company which should be registered. The proof of which shall have to be furnished alongwith the application.
- 3.3 All such builders shall have to produce proof of financial soundness e.g. balance sheet and income tax certificate of last financial year.

:: 2 ::

4. CRITERIA FOR ALLOTMENT OF LAND :

- 4.1 Minimum of one hundred acres land shall be allotted to a builder.
- 4.2 The provisions of Master Plan shall be followed.
- 4.3 The builder shall give his acceptance/commitment to abide by the terms and conditions of L.D.A. for allotment of land and provisions for saleable area, parks, schools and other facility will be made as per norms.

5.0 COMPENSATIONS OF LAND :

- 5.1 The L.D.A. has already paid the compensation to farmers, if any amount is pending as per awards already declared, such amount shall be paid by the L.D.A. If any increased amount of compensation is required to be paid on account of court's decision or mutual agreement with farmers for final settlement of compensation the same shall be paid by the Private Builder. If there is any legal dispute on the land allotted, the same shall be contested by the Builder through L.D.A. and the cost/legal expenses shall be borne by the Private Builder.

contd....3/-

:: 3 ::

5.2 The increased amount of compensation if any shall be paid by the builder even after completion of the project, on demand from L.D.A. If such amount demanded by L.D.A. is not paid in time the same shall be realised as arrears of land revenue.

6. MODE OF APPLICATION :

Application of allotment of land shall be submitted by the builder in the attached form. The following papers/documents shall be attached with the application form :-

- a) An attested copy of registration of firm or company.
- b) Details of technical know - how, proof of financial capability and last year's income tax clearance certificate and last year's balance sheet.
- c) Experience regarding completion of housing colonies/group housing schemes, if any.

7. PROCEDURE FOR ALLOTMENT OF LAND :

After receipt of applications and finalization of all formalities, land shall be allotted by Vice Chairman, L.D.A on the recommendation of a Committee which will be constituted by Chairman, L.D.A.

contd....4/-

The Committee will recommend the builders in order of preference.

B. DOCUMENTS AND DETAILS OF SCHEMES TO BE SUBMITTED
(AFTER OFFER OF ALLOTMENT) :

The concerned builder shall be required to submit the following documents and details of scheme to V.C., L.D.A. within 60 days from the date of agreement.

- a) Site survey plan on a scale 1:1000 or 1:500 as per size of land.
- b) Layout plan on a scale of 1:1000 or 1:500 clearly showing the position of Services such as Roads, Sewers, Water Supply, Electricity, S.W. Drain and Parks etc.
- c) Building plans showing the position and dimension of blocks and buildings with horizontal and vertical circulation system, the height and number of storeys of each block.
- d) The time schedule for completion of development works and construction of dwelling units. A PERT/BAR Chart will be submitted by the builder.
- e) Plans, elevations and sections to a scale

:: 5 ::

of 1:100. The construction and Development works shall be started after taking approval of L.D.A.

- f) The Schedule of areas of site coverage under residential building block alongwith schedule of F.A.R. and density.
- g) Detailed plans, designs and specifications of all internal services, lits, ramps dustins etc.
- h) The provisions of Master Plan as well as other byelaws applicable shall be followed while submitting designs/plans.

9. EXAMINATION OF SCHEME PAPERS :

The details of scheme and documents as submitted by the builders (as per requirements of sl.8 mentioned above) shall be examined by the L.D.A. The Clarifications as required shall have to be given by the builder.

10. APPROVAL OF SCHEME :

After examination of the scheme as submitted by the builder and approval of V.C., L.D.A. the approval shall be communicated.

contd...6/-

:: 6 ::

11. DEVELOPMENT WORKS :

11.1 All the Internal development works falling in the land of builder, shall be completed by builder under the direction & supervision of L.D.A. The builder shall pay 1% of the total estimated internal development cost to L.D.A. as supervision charges. The above works shall be completed as per specification/norms approved by L.D.A.

11.2 The cost of external development shall be deposited by the builder and its payment shall be made as per clause 20 as mentioned hereinafter.

12. PERIOD FOR COMPLETION OF SCHEME :

The period for completion of the scheme shall be a maximum for five years from the date of possession of land.

13. SUBLETTING OF WORK :

The builder shall have no right to sublet the licence. If it is noticed by L.D.A. that licence has been illegally sublet by the builder, the V.C., L.D.A. shall have right to cancel the allotment/terminate

contd....7/-

:: 7 ::

the agreement and he may take any other action as deems fit.

14. COMPLETION CERTIFICATES :

14.1 The certificate regarding satisfactory completion of electrical works shall have to be obtained by the builder from Chief Electrical Inspector to Govt. and furnished to L.D.A.

14.2 After completion of houses and development works the builder shall obtain completion certificate from L.D.A.

14.3 The certificate regarding structural stability of the houses constructed by the builder shall be obtained by the builder from their architect/engineer and shall be furnished to L.D.A. This certificate shall be submitted by the builder before completion certificate is granted by L.D.A.

15. HANDING OVER OF COLONY TO RESPECTIVE DEPARTMENTS :

15.1 Within three months from the date of issue of completion certificate by L.D.A. the builder shall make arrangements of handing over the services to respective departments.

15.2 If the services are not handed over to respective departments within the time stipulated above, the maintenance of services shall be done by the builder at their own cost.

15.3 If the above services are not handed over to respective departments within six months from the date of issue of completion certificate by L.D.A., the L.D.A. shall have right to take over the services and whatever expenditure is incurred in handing over the services to respective departments, the same shall be recovered from the bank guarantee and/or as arrears of land revenue.

16. DEFECTS IN DEVELOPMENT WORK (CONSTRUCTION OF HOUSES) :

After handing over of colony/services by the builder, if defects in development works/houses, are found afterwards, the entire responsibility shall rest on the private builder. The L.D.A. shall rectify such defects and cost so incurred shall be recovered from the builder as arrears of land revenue.

17. DEVELOPMENT OF VILLAGES :

The builder shall carry out the following development

works in the villages of which land has been allotted to the builder and/or the village falls in the land allotted to the builder.

- I) Brick paving in the streets of the village.
- II) Providing street light.
- III) Arrangement for Sewer.
- IV) Arrangement for water supply.
- V) Developing parks & construction of community centre.
- VI) Drainage system.

18. SURVEY OF LAND :

After receipt of allotment letter the builder may carryout survey of land allotted to them before execution of agreement. The builder should keep themselves satisfied regarding encroachments/unauthorised buildings/built up structures/trees etc. They should also receive information from L.D.A. regarding any legal dispute on the land allotted to them.

19. BANK GUARANTEE/MORTGAGE OF LAND :

19.1 A bank guarantee for 30% of total cost of land will be provided by builder for due fulfilment of the project and for final settlement of compensation with farmers. The guarantee shall be valid for the total project period. The builder shall submit agreement of final settlement of compensation with farmers to L.D.A.

O R

19.2 30% of the total land licensed to builder will be mortgaged in favour of L.D.A. by the builder for due fulfilment of the project and for final settlement of compensation with the farmers. This 30% land will remain mortgaged till the completion of the project and final settlement of the compensation with the farmers. The area of 30% will be marked by L.D.A. on the layout plan as submitted by builder for approval so that a proportionate area of residential, commercial etc. is included. The land so mortgaged will not include the E.W.S. Pocket. The builder shall submit agreement of final settlement compensation with farmers to L.D.A.

20. MODE OF PAYMENT :

- 20.1 10% of the amount will be taken within 30 days from the date of issue of allotment letter.
- 20.2 15% of the amount will be taken within 60 days from the date of issue of allotment letter.
- 20.3 The above amount (10% + 15%) will be taken on the basis of tentative rate. The actual rate will be worked out before execution of agreement & the difference of 25%, if any will be taken before execution of agreement.
- 20.4 75% of the amount will be taken in 6 half yearly equal instalments with 21% interest. If the payment is made before the date due, a rebate of 3.5% in above rate of interest will be allowed.

21. EXECUTION OF AGREEMENT :

The builder shall execute agreement within 30 days after the receipt of 25% of the total amount.

22. POSSESSION OF LAND :

The possession of land shall be taken by the builder within 30 days from the date of execution

:: 12 ::

of agreement. If the possession of land is not taken by the builder within the above period the date of possession shall be reckoned only for the purpose of Calculations etc. from the date of expiry of 30 days from the date of execution of agreement.

23. MAINTENANCE OF ACCOUNTING RECORDS :

23.1 The builder shall maintain accounting records in the requisite form.

23.2 The accounts so maintained shall be got audited annually by a Chartered Accountant within three months from the date of closing.

23.3 The Builder shall be required to furnish a copy of the audited balance sheet of the project within six months from the date of closing of accounts.

24. EXECUTION OF SALE DEED/LEASE DEED :

24.1 The allotment rules as made by the builder shall be submitted to the Vice Chairman, I.D.A. In case V.C., I.D.A. desires any change, it shall be communicated to the builder within 30 days from the date of receipt of allotment rules.

contd.....13/-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
21 अगस्त, 1996 में विचारणीय अनुपूरक
विषयों की कार्य-सूची ।

=X=X=X=X=X=X=X=

15. श्री जनार्दन सिंह को गोमती नगर योजना के विपुल छाण्ड में आवन्तित भूछाण्ड संख्या: सी-5/7 बी पर लगाये गये दण्ड ब्याज को मुक्त करने के सम्बन्ध में ।
16. नेहरु इन्क्लेव के प्लेटों के परिवर्तन के विषय में बोर्ड मीटिंग दिनांक 18.7.94 से पूर्व किये गये परिवर्तन पर देय परिवर्तन शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।
17. श्री धामेन्द्र सिंह को गोमती नगर योजना में आवन्तित एल.आई.जी. भावन संख्या:5/956 विराम छाण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूछाण्ड आवन्तित किये जाने से सम्बन्धित ।
18. अलीगंज योजना में आवन्तित भूछाण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना के विपुल छाण्ड में भूछाण्ड का परिवर्तन ।
19. उपरतर्गम के समीप तरोजी नायडु पार्क में भूमिगत पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में संशोधन ।

:: 13 ::

24.2 Possession of plot/houses to allottees of the builder shall be given by the builder only after a sale deed/lease deed is executed between L.D.A. & the allottee. The possession letter shall be issued by the L.D.A. to the allottee and the possession of house/plot shall be given by the builder to the allottee at site. However, the sale deed/lease deed shall not be executed before available of roads.

24.3 The allotment of land for primary health centre and schools shall be made by the builder, with the consent of Vice Chairman, L.D.A. as per concessional rates prevalent in L.D.A. The Agreement for such land will be executed by L.D.A. only with the allottee.

25. PROVISION OF PUBLIC FACILITIES/CONVENIENCES:

The builder shall make provisions for community centre, primary health centre, police outpost, post office, telephone exchange, schools and other public facilities in the land given to them according to

contd.....14/-

norms of Master Plan. The builder shall also construct the buildings or community centre at their own cost. The land for police out post and govt. dispensary shall be allotted by the builder at the concessional rate i.e. 50% of the residential rate.

26. PROVISION OF COMMERCIAL USE OF LAND :

The provisions of Master Plan shall apply.

27. INSPECTION OF WORKS & DIRECTION BY L.D.A. :

In order to monitor the progress of work, the L.D.A.'s Officers concerned with the work shall have right to inspect the development works and shall have power to issue directions.

28. TIME EXTENSION :

If the work is not completed within the time specified in serial - 12 above, the builder shall send an application to the Vice Chairman, L.D.A. three months before the expiry date of the completion of Scheme. If the reasons/ground found genuine, the extension may be granted by the Vice Chairman/Chairman, L.D.A. upto a period of one year. After a period of one year, if the project is not completed a penalty @ 10% of the land cost will be charged or one more year and after that period license may be cancelled.

29. ARBITRATION :

If any dispute arises regarding any matter between the Builder and Lucknow Development Authority, the decision of the Chairman, Lucknow Development Authority, shall be final and binding on both the parties.

30. EARNEST MONEY :

Every builder shall furnish bank draft of Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only) in favour of Secretary, L.D.A. as earnest money. The above bank draft shall be attached with the application form. The offer without earnest money shall not be considered. The earnest money may be refunded, if ones offer is not accepted.

31. OTHER CONDITIONS :

31.1 The builder shall mention specifically in the rules of registration of houses made by them that the land has been allotted by L.D.A. to them and the conditions of lease/Free hold as prescribed by L.D.A.

shall be applicable and the allottee shall pay lease rent/free hold charges as per conditions of L.D.A.

31.2 The builder shall work as licence of L.D.A.

31.3 The V.C. L.D.A. shall have right to add more conditions and to modify the existing conditions in agreement to be executed with the builder after allotment of land.

31.4 25% of the total saleable area as per approved lay out plan shall be reserved for developing plots houses for economically weaker section/ L.I.G. by the builder. The finances for such plots/houses shall be assigned by the builder at their level.

31.5 The provisions can also be made or developing the part of the Scheme for farm houses alongwith recreational & sports facility.

31.6 One has to get his building plan approved by L.D.A. before starting construction. Before the building plan is approved, Malva Charges and other charges, if any, will

be deposited by the builder. If number of houses are constructed by the builder of one type of design, the builder shall get such type of design of one house only approved by L.D.A. But Malva Charges, and other charges shall be paid by the builder for total numbers of houses of such design.

- 31.7 The allotment of all type of houses and plots shall be done by the builder as per approved layout plan.
- 31.8 The technical offers will be received on the basis of above conditions and will be sorted out in view of the conditions as laid down herein. The financial offers will be obtained only from those builders whose technical offers have been found suitable.
- 31.9 If the payment is not made in time as per provisions of para 20.1, 20.2 and 20.3, the allotment of the land shall be cancelled and the money deposited will be forfeited.

31.10 If the payment is not made in time as per provision of para 20.4 and any other payment due, interest @ 21% will be taken upto the date at which next installment is due or payment i.e. six months and after that date, allotment may be cancelled and money deposited may be forfeited.

APPLICATION FORM FOR TECHNICAL OFFER

FOR ALLOTMENT OF LAND IN HARDOI ROAD SCHEME

- 1. Name of Scheme.....
- 2. Name of Builder.....
- 3. Address.....
- 4. Earnest Money B.D.NO.....DT.....
Rs.
- 5. Registration of firm or co.
(Certificate enclosed).....
- 6. Experience (Housing activities).....
- 7. Audited balance sheet
For last three years
- 8. Details of T & F.....
- 9. Details of Technical Staff.....
- 10. Details of members of Management Committee.....
- 11. If there is nay dispute with any department, the details
may be given.....
- 12. Other Technical
Information (if any).....
I/ we have read the proposed conditions for allotment
of land to Private Builder and I/we accept them.

DATED :

SIGNATURE OF APPLICANT

विषय: रायबरेली रोड स्थित चेशायर होम के भवन मानचित्रों पर आरोपित मलवा शुल्क व जल व्यय शुल्क से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के रत्नाकर खण्ड की भूमि प्राधिकरण के लाइसेन्सी विल्डर्स मेसर्स यूनीटेक को आवंटित की गई थी, तदुपरान्त मे-यूनिटेक द्वारा आवंटित भूमि का एक भू-क्रियाय मानचित्र प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1990 में स्वीकृत कराया गया जिसमें ब्लॉक-ए के अर्न्तगत एक पार्क जिसका क्षेत्रफल 1.94 एकड़ स्वीकृत था, में एक पुराना भवन चेशायर होम स्थित था, उक्त पुराने भवन के अंतर्गत ओर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव थी राज्यपाल की अध्यक्षता में दिनांक 22-10-94 को एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पार्क वाली भूमि में जो चेशायर होम जिसका क्षेत्रफल 324.00 वर्गमीटर है, को यथावत् समायोजित करते हुए 3402.00 वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि विभाग द्वारा निःशुल्क आवंटित कर, लीज कर दी गई है। जिसको लीजप्लान में पीले रंग से दर्शाया गया है। उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत पार्क का घटाया हुआ क्षेत्रफल 2873.25 वर्गमीटर 0.71 एकड़ ही अंतिम माना जाये जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है।

उल्लेखनीय है कि चेशायर होम के मानचित्र स्वीकृत में भू-क्रियाय में संशोधन आवश्यक था इस कारण मानचित्र स्वीकृत हेतु एक प्रस्ताव प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 96 के विषय संख्या: 7 पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:-

" विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड द्वारा अपने ले-आउट में किसी अन्य स्थान पर इतना ही क्षेत्रफल सुले स्थल अथवा पार्क के रूप में छोड़ा जाये"


प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 30-5-96 को मानचित्रों पर तकनीकी स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ कि फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किये जायेंगे। तदनुसार पक्ष को विभागीय पत्र संख्या: 170/एल.डी.ए./एन.जेड.जी. दिनांक 5-6-96 को फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाने हेतु एवं मानचित्रों पर आरोपित मलवा शुल्क रु 16,430/- एवं जल व्यय शुल्क रु 7,200/- जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, फायर विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र संख्या: च-287/फा.स.95 दिनांक जूलाई 2, 1996 प्राप्त हो गया है। मलवा व जल व्यय शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में श्री वी.के.चौरी, चेयरमैन चेशायर होम इंडिया लखनऊ के पत्र सं: चे.27/95 दिनांक 5-7-96 द्वारा अनुरोध किया गया है कि चेशायर होम एक चैरीटेबल संस्था है तथा इसका मुख्य कार्य दीन दुखियों की मदद करना है एवं चेशायर होम इंडिया के पास मलवा व जल व्यय शुल्क के रूप में कुल रूपया 23,630/- जमा करने हेतु उसके पास स्वयं कोई संसाधन नहीं है अतः मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मलवा व जल व्यय शुल्क के रूप में रूपये 23,630/- जमा करने से छूट प्रदान कर दी जाये।

अतः चेशायर होम इंडिया के भवन मानचित्र पर आरोपित मलवा शुल्क रु 16,430/- एवं जल व्यय शुल्क रु 7,200/- से छूट प्रदान करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

45.0 M WIDE SECTOR ROAD

UP AMBEEKER UNIVERSITY

46



90.0 M WIDE ROAD

MAINTENANCE UTILITY

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY


PART LAYOUT PLAN TO SCALE 1:1000 SHOWING
BLOCK-A SOUTH CITY RAILWAY ROAD
LUCKNOW DEVELOPED BY UNITECH LTD

NAME OF OFFICE: M/S CHESHIRE HOME
PLOT NO: BLOCK A SOUTH CITY LTD

AREA STATEMENT	BOUNDARIES
FROM: WEST	TO: EAST: 7.5 M ROAD HOUSE OF COL. MELHOTRA
ROAD WIDTH	SOUTH: 7.5 M ROAD, 7.5 M ROAD
DEPTH (RIGHT)	WEST: 7.5 ROAD HOUSE OF COL. MELHOTRA
DEPTH (LEFT)	
TOTAL AREA OF PLOT: 15726.20 SQ. M	(AS PER DRAWING)

Chief Engineer
Lucknow Development Authority
LUCKNOW

[Signature]
Chief Engineer



THE PLOT FOR CHESHIRE HOME



विषय संख्या: 4

पृष्ठ संख्या: 47

विषय: प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवन/भूखण्डों में विना अनुमति प्राप्त किये विक्रय के सम्बन्ध में लगाये गये अर्थ दण्ड के सम्बन्ध में।

=====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-3-96 के विषय संख्या:3 के अर्न्तगत लिये गये निर्णयानुसार वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण में आवंटित भवन व भूखण्ड श्रेणी-होल्ड सम्पत्ति छोड़कर आवंटियों द्वारा विना पूर्व अनुमति विक्रय किये जाने की दशा में घोषित कुल मूल्य का 2 प्रतिशत या रु0 2,500/- में जो भी अधिक हो अर्थदण्ड लगाकर दायित्व सारित करके क्रेता का नाम प्राधिकरण अभिलेखों में अर्कित किया जाता है।

उपर्युक्त क्रम में बोर्ड के संज्ञान में यह तथ्य विचारार्थ प्रस्तुत है कि कुछ ऐसे भी पुराने भवन/भूखण्ड हैं जिनका प्रीमियम बहुत कम रहता है, उन पर रुपये 2,500/- का अर्थ दण्ड लगाया जाना न्यायोचित नहीं प्रतीत होता है।

अतः प्रस्ताव है कि अर्थदण्ड के रूप में प्रतीकात्मक प्रीमियम का 2 प्रतिशत अर्थदण्ड लगाया जाये। उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11.3.96

पृष्ठ: 48

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 13

विषय: नगरपालिका विकास प्राधिकरण की विना विक्रय अनुमति प्राप्त किये भवन भूमापन को समाप्त घोषित किये जाने विषयक।

नगरपालिका विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित भवन/भूमापन का आवंटन के द्वारा वर्तमान समय में प्रचलित नियमावली के तहत विक्रय करने पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं है परन्तु भवन भूमापन को विक्रय करने से पूर्व तत्समक विकास प्राधिकरण के यहाँ प्राधिकृत के द्वारा विक्रय अनुमति लेना आवश्यक होता है जिसे आवंटन के द्वारा नहीं किया जाता है और अपने आवंटित भवन भूमापन का विक्रय मिलेस केन्द्र के पक्ष में विभाजन कर किया जाता है एवं समय-समय पर सम्पत्ति का दोषिल-घोषित किये जाने एवं अनुयोग किया जाता है। यह प्रयोग नहीं है।

एवं आवंटित विनाके द्वारा भवन भूमापन विना तत्समक विकास प्राधिकरण से विक्रय अनुमति किये विक्रय कर किये गये हैं एवं दोषिल-घोषित करते समय भवन भूमापन की कीमत का 2 प्रतिशत अर्धदण्ड कना कम से कम रु० २,५०० - अर्धदण्ड का अधिक हो। अन्तर्गत प्रयोग सम्पत्तियों का दोषिल-घोषित किया जाना चाहेये नियमों आवंटित विक्रय सम्पत्तियों सर्चवादी करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से अपने आवंटित भवन/भूमापन को बेचने से पूर्व विकास प्राधिकरण से विक्रय अनुमति प्राप्त किया करेगे।

अतः इस प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि आरोपित किये जाने वाले 2 प्रतिशत अर्धदण्ड की गणना उसी प्रकार से क्रय मूल्य पर की जायेगी जैसा कि प्री-होल्ड के प्रकरणों में किया जा रहा है।

विषय: श्रीमती सावित्री देवी को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या: सी-4/9 विपुल सण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क तथा दण्ड ब्याज को माफ़ करने के सम्बंध में।

श्रीमती सावित्री देवी को गोमती नगर योजना के अर्न्तगत विपुल सण्ड में भूखण्ड संख्या: सी-4/9 आवंटित है। उक्त भूखण्ड पर दण्ड ब्याज की धनराशि रु0 82,141-33 पैसे एवं परिवर्तन शुल्क की धनराशि रु0 35,640/- देय है। श्रीमती सावित्री देवी द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त आकटन पूर्व में उनके पति स्व. श्री हरिवंश नारायण सिंह के नाम था, जो कि रिटायर्ड आई.पी.एस. अधिकारी थे तथा परिवर्तन शुल्क एवं दण्ड ब्याज की छूट उन्हें अनुमन्य थी। उनका देहान्त हो जाने के कारण उक्त आकटन का ही नाम परिवर्तन उनके पक्ष में किया गया है, इसलिये जो छूट उन्हें अनुमन्य थी वही छूट उन्हें भी प्रदान की जाये।

अतः श्रीमती सावित्री देवी को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या: सी-4/9 विपुल सण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क तथा दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: श्री मन्जूर अहमद, पूर्व विधायक को गोमती नगर योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या:वी-4/146 पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ करने से सम्बंधित।

गोमती नगर योजना में श्री मन्जूर अहमद, तत्कालीन विधायक को भूखण्ड संख्या:वी-4/146 विजयन्त खण्ड वर्ष 91 में आवंटित किया गया था। आकटी ने यह प्रार्थना की थी कि देय धनराशि की कार्रवाई विधायक आवास समिति के अर्तगत दिये गये भूखण्डों के अनुसार करायी जाये। चूँकि प्रश्नगत मामले में आकटन की कार्यवाही विधायक आवास समिति के स्तर में नहीं की गयी थी अतः विधायक आवास समिति की भाँति कार्रवाई नहीं की जा सकी। श्री मन्जूर अहमद द्वारा भूखण्ड के प्रति देय धनराशि समय से न जमा करके विभिन्न तिथियों में विलम्ब से जमा की गयी, जिसके कारण 1,26,343/- रुपये दण्ड ब्याज व अतिरिक्त ब्याज देय हो गया है। आकटी द्वारा उक्त ब्याज माफ़ किये जाने की प्रार्थना की गयी है। आकटी का यह तर्क है कि उक्त भूखण्ड विकसित नहीं है न ही विकास प्राधिकरण इस स्थिति में है कि तुरन्त कृजा दिया जा सके। वर्तमान में फेज-2 में विशेष, विक्रय खण्ड में विकास कार्य आरम्भ हो गये हैं परन्तु विजयन्त खण्ड में अभी विकास कार्य नहीं हो पाये हैं। आकटी द्वारा भूखण्ड के विक्रय मूल्य की पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी है तथा भूखण्ड के मिलने की भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

विभागीय अनुशंसा

चूँकि विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य नहीं किये जा सके हैं व भूखण्ड के मिलने में विलम्ब है। इस स्थिति में विकास प्राधिकरण कृपया दण्ड ब्याज माफ़ करने पर विचार करने की कृपा करें।

विषय: श्रीमती मीना सिंह को टिकैतराय योजना में आवंटित भवन संख्या:डी-642/2 के स्थान पर कानपुर रोड योजना सेक्टर आई में भवन का परिवर्तन करने विषयक।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती मीना सिंह के पक्ष में टिकैतराय योजना में दिनांक 8-8-88 को सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से भवन संख्या: डी-642/2 का आवंटन किया गया था तथा आवंटि से पूर्ण वांछित राशि जमा कराकर दिनांक 5-7-93 को रजिस्ट्री की गयी थी, परन्तु कुछ विवाद के कारण प्राधिकरण श्रीमती मीना सिंह को भवन का भौतिक कब्जा नहीं दे पाया।

आकटी ने अनुरोध किया है कि मेरे पक्ष में कानपुर रोड योजना सेक्टर आई में एल.आई.जी. प्रकार का भवन आवंटित कर दिया जाये। वर्तमान में कानपुर रोड योजना सेक्टर आई में एल.आई.जी. प्रकार के भवन आवंटन हेतु उपलब्ध हैं परन्तु एक योजना से दूसरी योजना में स्थान परिवर्तन बिना प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। अतएव स्थान परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृतार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: अलीग योजना मे श्री मारकण्डेय सिंह को आवंटित भूखण्ड संख्या: बी-11/ओ का परिवर्तन/समायोजन गोमती नगर योजना मे करने के सम्बन्ध मे।

अलीगंज योजना मे श्री मारकण्डेय सिंह को भूखण्ड संख्या: बी-11/ओ प्राधिकरण व्दारा आवंटित किया गया था जिसका समस्त भुगतान आकटी व्दारा किया जा चुका है। आकटी उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का परिवर्तन/समायोजन गोमती नगर योजना मे व्यक्तिगत कारणों सं कराना चाहता है। आकटी व्दारा अपने पत्र मे उल्लेख किया गया है कि वह जौनपुर जनपद का निवासी है, प्रश्नगत भूखण्ड विपरीत दिशा मे होने से असुविधाजनक है।

अतः अलीगंज योजना मे श्री मारकण्डेय सिंह को आवंटित भूखण्ड संख्या: बी-11/ओ का परिवर्तन/समायोजन गोमती नगर योजना मे करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय: फैजाबाद रोड, तुलतानपुर रोड, राबबरेली रोड, कानपुर रोड,
 =====
 तथा हरदोई रोड को जोड़ने वाली प्रस्तावित रिंग रोड के
 निर्माण के सम्बन्ध में।

आहवा:-
 =====

लहानउ-फैजाबाद रोड से तुलतानपुर रोड, राबबरेली रोड, कानपुर रोड, कानपुर रोड तथा हरदोई रोड को मिलाने वाली एक रिंग रोड प्रस्तावित है, जिसके प्रथम चरण में फैजाबाद रोड से राबबरेली रोड तक रिंग रोड का हीद अमर पथ का निर्माण करना है।

महामहिम श्री राजबपाल, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में "लहानउ राजधानी क्षेत्र के बिकसत" के सम्बन्ध में दिनांक 15.2.96 को हुई बैठक में इस रिंग रोड के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भूमि अर्जन का कार्य दिनांक 31.5.96 तक पूरा कर लिया जाय। प्रथम चरण में प्रस्तावित रिंग रोड की लम्बाई लगभग 13.7 किमी० है। यह रोड 60मी० चौड़ी होगी तथा इसके लिए 203 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। भूमि अर्जन का प्रस्ताव जिलाधिकारी, लहानउ को दिनांक 20.3.96 को प्रेषित किया गया था एवं यह निर्णय लिया गया था कि रिंग रोड हेतु लहानउ बिकसत प्राधिकरण भूमि का अर्जन करके भूमि उपलब्ध करायेगा एवं भूमि अर्जन पर आने वाला व्यय भी 08 दिसंबर 1995 द्वारा ल० वि० प्रा० को उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु भूमि लगभग 203 एकड़ के अर्जन के लिए 15.00 करोड़ की आवश्यकता है। इसे उपलब्ध कराने हेतु शासन ने दिनांक 17.4.96 को अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है। तइक हेतु भूमि अर्जन के अतिरिक्त इस तइक पर तीन रोड ओवर ब्रिज तथा गोमती नदी पर एक पुल का निर्माण भी कराना होगा। पुल के निर्माण हेतु व्यय उ० प्र० राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा, परन्तु रोड ओवर ब्रिज पर लगभग 17.50 करोड़ व्यय सम्भावित है एवं दो लेन के पुल पर लगभग 3.75 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। पुल व रोड ओवर ब्रिज के अतिरिक्त सड़क के निर्माण में लगभग 23.39 करोड़ व्यय आने की सम्भावना है। इस प्रकार भूमि अर्जन, तइक निर्माण, रोड ओवर ब्रिज तथा पुल के लिए लगभग 59.64 करोड़ की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त धनराशि शासन से मिलने में कठिनाई हो रही है तथा चर्चा के दौरान यह भी प्रकाश में आया है कि इतनी बड़ी धनराशि की

LN

श्री देवराज मिश्र सदस्य विधान परिषद 30प्र0 को आवंटित भूखण्ड संख्या बी-5/71 विनीत खण्ड का मूल्य आसान किस्तों में किये जाने का प्रस्ताव।


श्री देवराज मिश्र को विधायक कोटे के अन्तर्गत गोमती नगर में भूखण्ड संख्या बी-5/71 विनीत खण्ड आवंटित किया गया है। प्राधिकरण के पत्र संख्या-473/जे0एस0-एम/विनीत दिनांक 16-3-96 द्वारा श्री मिश्र से भूखण्ड को अनुमानित मूल्य रूपया- 3,16,800/- दिनांक 31-5-96 तक मांगा गया था। श्री मिश्र द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वह विधान परिषद सदस्य है तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है इसलिए धन को किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। प्राधिकरण नियमों के अन्तर्गत भूखण्ड का मूल्य नकद क्रय पद्धति के अनुसार लिया जाता है और सम्पूर्ण धन 90 दिन के अन्दर बिना ब्याज के जमा करने का प्रावधान है। 90 दिन के पश्चात् खण्ड ब्याज देय हो जाता है। विनीत खण्ड-5 का अभी विकास कार्य पूर्ण नहीं है और विकास कार्य पूर्ण होने में लगभग एक वर्ष लगने की संभावना है। इसलिए श्री देवराज मिश्र के प्रार्थना पत्र पर उन्हें भूखण्ड की धनराशि चार त्रैमासिक किस्तों में नियमानुसार ब्याज सहित जमा किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

JS (M)

श्री सुनील कुमार अग्रवाल को जानकी पुरम योजना के अन्तर्गत आवंटित 128 वर्ग मी० के भूखण्ड के बदले गौमतीनगर योजना में 162 वर्ग मी० अथवा 200 वर्ग मी० का भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव ।

श्री सुनील कुमार अग्रवाल ने जानकी पुरम योजना के अन्तर्गत 162 वर्ग मी० का भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु पंजीकरण कराया था। उक्त योजना की लाटरी दिनांक 25.8.90 को डाली गयी थी जिसमें ते-आइट प्लान को अन्तिम रूप देने समय 162 वर्ग मी० के भूखण्ड नहीं बनाये गये थे जिससे 162 वर्गमी० की श्रेणी में पंजीकृत व्यक्तियों को 128 वर्ग० मीटर के भूखण्डों की श्रेणी में रज्जर लाटरी डाली गयी और उन्हें उक्त लाटरी में भूखण्ड आवंटित कर दिया गया। श्री अग्रवाल ने लोकायुक्त में 162 वर्ग मी० या उससे अधिक क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु मामला दर्ज कराया है और अनुरोध किया है कि उन्होंने 162 वर्गमी० के भूखण्ड हेतु पंजीकरण कराया था परन्तु उन्हें 128 वर्ग मी० का भूखण्ड दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में लोकायुक्त के समक्ष कई पेशियाँ हो चुकी हैं, उन्हें कानपुर रोड योजना व शाहदा नगर योजना में 162 वर्ग मी० के उपलब्ध भूखण्ड आवंटित किये जाने का आफर भी दिया गया था परन्तु माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है कि गौमती नगर योजना में उन्हें उक्त श्रेणी का भूखण्ड उपलब्ध कराया जाय। अतः अनुरोध है कि 162 वर्ग मी० या 200 वर्ग मी० के क्षेत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ पेशित है ।


श्रीपाल वर्मा
संयुक्त सचिव-एत

उपस्थिति:

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| 1. | श्री नरेश दयाल | आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री अणुद्वि प्रताप सिंह | प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग। |
| 3. | श्री गंगाधर पादव | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 4. | श्री प्रदीप शुक्ला | निर्वाहकारी, लखनऊ। |
| 5. | श्री आर.पी.त्यागी | उपाध्यक्ष, गान्धिवादा विकास प्राधिकरण। |
| 6. | श्री राजेश कुमार मिश्रा | निरीक्षक सचिव, वित्त विभाग। |
| 7. | श्री संजय अग्रवाल | मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम
लखनऊ। |
| 8. | श्री पी.एस.भापुर | मुख्य अभियंता, जलविभाग, लखनऊ। |
| 9. | श्री मुस्तीपर | अपर निदेशक, उद्योग विभाग। |
| 10. | श्री आर.प्रसाद | अपर निदेशक, पर्यटन विभाग। |
| 11. | श्री रामवृक्ष प्रसाद | संयुक्त सचिव, आवास विभाग। |
| 12. | श्री एम.पी.शर्मा | चोरफ्ट निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 13. | श्री एम.ए.ए.मान | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

=====

निपट संचालक: 1

निर्णय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21
अगस्त, 1996 के कार्यवृत्त का पुष्पितकरण।

अनुपूरक नियम संख्या: 2 एवं 3 में अंकित नियम
"पूर्व नियत शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार सेवा शर्तों"

क्रमशः

संशोधन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाना चाहिये" के स्थान पर "" इस प्रकार के बिन्दुओं को प्राधिकरण स्तर पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही शासन का मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये" अंकित किया जाये।

दिनांक 22 जून, 1996 के कार्यवृत्त के पृष्ठ-8 पर अन्य निर्णय बिन्दु-2 की तीसरी पंक्ति में अंकित " रोष व्यक्त किया गया" शब्द हटा दिये जायें।

उक्त संशोधनों सहित लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22 जून, 1996 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय:

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय:

§1§ सम्पत्ति विभाग से सम्बंधित प्रगति आख्या का अवलोकन करते समय यह पाया गया कि व्यवसायिक सम्पत्ति से बकाया की वसूली बहुत ही कम है, अतः निर्देश दिये गये कि व्यवसायिक सम्पत्ति की बकाया वसूली की ओर अधिक ध्यान दिया जाये एवं अधिक से अधिक वसूली की जाये।

§2§ भवन विभाग द्वारा प्रस्तुत शमन सम्बन्धी आकड़ों के अवलोकन के पश्चात् निर्देश दिये गये कि शमन से आय बहुत ही कम हुई है। इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष अपने स्तर से निर्देश जारी करके शमन की कार्यवाही को तेज करायें।

§3§ डेवलपमेंट चार्जेज के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि माननीय न्यायालय से स्थगनादेश होने के कारण डेवलपमेंट चार्जेज वसूल नहीं किये जा रहे हैं। निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष अपने स्तर पर स्थगनादेश का परीक्षण करके उसे निरस्त कराने की कार्यवाही करायें।

4. किराये पर उठी सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में प्रस्तुत आँकड़ों के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि इन सम्पत्तियों के लीज-प्लान बनाने हेतु एक अधिशासी अभियन्ता एवं अधिक से अधिक संख्या में सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं को नामित करते हुए उक्त कार्य पन्द्रह दिनों के अन्दर पूर्ण कराया जाये।

5. लेखा विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रगति आख्या के अवलोकन के उपरान्त निर्देश दिये गये कि "हुडको" द्वारा निर्धारित प्रपत्रों का प्रयोग प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु किया जाये।

6. अभियन्तण विभाग की प्रस्तुत प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नये निर्माण कार्यों को जहाँ तक सम्भव हो प्रारम्भ न किया जाये। अधूरे एवं अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

यह भी निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष स्वयं अपने स्तर पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करके समुचित निर्देश जारी करें।

विषय संख्या: 4

हजरतगंज के समीप राजनी नायडू पार्क में भूमिगत पाकिंग बनाने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान यह जानकारी चाही गई कि क्या ऐसे कार्यों हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई आर्किटेक्ट्स का पैनल गठित किया गया है। यदि पैनल है तो सभी आर्किटेक्ट्स को इस हेतु अवसर प्रदान करते हुए उनके प्रस्ताव मागे जाने चाहिये थे। यह बताया गया कि अन्डर ग्राउण्ड पाकिंग का कार्य एक विशेष प्रकार का कार्य है, चूँकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत आर्किटेक्ट्स को इस विशेष कार्य हेतु अनुभव नहीं था अतः ऐसे कार्यों हेतु पर्याप्त अनुभव रखने वाले प्राइवेट आर्किटेक्ट को नियुक्त करने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चार अधिकारियों की समिति गठित की गयी थी, जिसमें तीन आर्किटेक्ट्स से विचार विमर्श किया और उनमें से गो राजेश एण्ड एसोसिएट्स को उपयुक्त पाया। अध्यक्ष द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जब प्राधिकरण में चारसुविदी का अनुमोदित पैनल है तो उन सब को यह मौका देना चाहिये था कि वे बताते कि वे प्रस्तावित कार्य करने में सक्षम हैं या नहीं।

कोई के समस्त प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में यह कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई गई है, जिसके आधार पर तुलना के लिए प्रस्ताव करने हेतु कार्य किया गया है। इस प्रकार से अन्ततः वित्त विभाग के प्रतिनिधि सहित कई सदस्य सहमत नहीं थे। उनका यह निश्चित मत था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्राथमिक चरण के समस्त प्रस्ताव किया जाना चाहिए था और इस बैठक में भी ऐसा किया जा सकता था। कोई योजना की दायरे में ही प्रचार कर सकता।

भूमिगत पापण का प्रोजेक्ट वजह से सम्पन्न होने पर भी चार्ज को अन्ततः प्राप्त किया गया प्रोजेक्ट पर कार्य करने जाने के संबंध में बताया गया कि भूमिगत इस योजना की स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल के स्तर पर हुई बैठक में हुई थी इस कारण चार्ज की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इस संबंध में भी बैठक में अध्यक्ष व वित्त विभाग के प्रतिनिधि सहित कई सदस्यों ने असन्तोष व्यक्त किया। बैठक में विचार निष्पत्ति यह स्पष्ट हुई कि मा० राज्यपाल महोदय ने योजना की स्वीकृति करते समय यह व्यवस्था की थी कि इस योजना का वित्त पोषण शासन कर किया जाएगा। परन्तु वर्ष 1995-96 में शासन द्वारा इस हेतु धनराशि अनुमोदित नहीं की गई। इस वर्ष के प्राधिकरण के बजट में भी इस योजना हेतु कोई प्रावधान नहीं दे और वही लगातार किसी संस्था द्वारा इस योजना हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है। अतः वित्त पोषण के अभाव में प्रकल्प अकार्य कर देना व कार्यान्वयन प्रारम्भ कर देना अप्राप्तियोग्य है। इस संबंध में यह मत था कि जब तक योजना का वित्त पोषण सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक योजना का कार्यान्वयन रोक देना चाहिए। इसपर मुख्य सचिव आचार्यजी अवगत कराया कि प्रोजेक्ट के लिए हुडको से ऋण की व्यवस्था द्वारा शासन का दे दे गई है और वे शासन से इसकी लिखित सूचना प्राधिकरण का भेज देंगे। यह निर्णय किया गया कि अन्ततः प्रोजेक्ट के लिए 15 दिन में ऋण का प्रस्ताव नहीं हो जाती, तो प्रोजेक्ट का कार्य रोक दिया जाए।

समाप्ति के कारण अन्य विभाग सम्बन्धी बैठक हेतु सम्पन्न किया गया।

अनुमोदित
 प्रमुख सचिव
 महाराष्ट्र सरकार, बयनाड एवं
 महाराष्ट्र सरकार का विवरण।